न्यूनतम वेतन विधान, १९४८ के अन्तर्गत तम्बाखू (बीड़ी बनाना सहित) बीड़ी मेकिंग मॅन्युफेक्चरी नियोजन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित

सलाहकार समिति

का

विवरण

शाप्रामुइं-४४८-५००-५-५६

विषय सूची

		पृष्ठ क्रमांक
(१)	समिति का गठन	१
(२)	बीड़ी उद्योग का संक्षिप्त सर्वेक्षण	२
(३)	समिति के सुझाव	८
(४)	मतभेद पत्र (तीन)	९
(५)	मध्यप्रदेश राज्य में विलीन हुए क्षेत्रों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का तुलनात्मक पत्रक परिशिष्ट 'अ'	३४–३५
(६)	मध्यप्रदेश राज्य के चारों ओर के प्रान्तों में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का तुलनात्मक पत्रक परिशिष्ट 'ब' ...	४०–४१
(७)	समिति द्वारा प्रसारित प्रश्नावली परिशिष्ट 'स'	४२
(८)	प्रश्नावली के उत्तर में प्राप्त जानकारी का तुलनात्मक पत्रक परिशिष्ट 'ड'	(अन्त में)

न्यूनतम वेतन विधान, १९४८ अन्तर्गत तम्बाखू (बीड़ी बनाना सहित) बीड़ी मेकिंग मॅन्युफेक्चरी नियोजन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मित सलाहकार समिति का विवरण

मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक ४०-४०२७।१६, भोपाल दिनांक ३० अप्रैल १९५७ द्वारा न्यूनतम वेतन विधान १९४८ (क्रमांक ११ सन् १९४८) की धारा ६ के अन्तर्गत तम्बाखू (बीड़ी बनाना सहित) बीड़ी मेकिंग मॅन्युफॅक्चरी नियोजन में निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन करने के सम्बन्ध में जांच करने तथा शासन को परामर्श देने के हेतु निम्नलिखित समिति नियुक्त की:–

अध्यक्ष	..	श्री हेमचन्द्र माथुर, आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी
स्वतन्त्र	..	श्री जी. एन. अरोरा, स्टॅटिस्टिशियन, इकॉनॉमिक तथा स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट, भोपाल
नियोक्ता	..	श्री भगवानदास शोभालाल, सागर
		श्री मौलाबक्ष रहीमबक्ष, सतना
		श्री जरदार बान अली खान, सनावद
		श्री के. अमीनुद्दीन, भोपाल
नियुक्त	..	श्री गंगाराम तिवारी, इन्दौर
		श्रीमती कलावती दीक्षित, सागर
		श्री उमरावसिंहजी, सदस्य, विधान सभा, सीहोर
		श्री रेहमत उल्लाह, पन्ना

श्री हेमचन्द्र माथुर ने समिति की पहली बैठक दिनांक ४ जून, १९५७ को भोपाल में निमन्त्रित की लेकिन उनका स्थानान्तर हो जाने के कारण बैठक एवम् आगे की गतिविधि सम्भव न हो सकी।

पश्चात् मध्यप्रदेश, श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक ७६।१६ भोपाल दिनांक ३-८-५७ द्वारा श्री हेमचन्द्र माथुर के रिक्त स्थान पर श्री एल. आर. जोशी, समिति के अध्यक्ष नियुक्त किये गये। एवम् पूर्व की अधिसूचना में दो सदस्यों के नाम में त्रुटि होने से शासन की अधिसूचना क्रमांक ७७।१६, दिनांक ३-८-५७ सुधार की आज्ञा प्रसारित की गयी।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व वर्तमान मध्यप्रदेश के विभिन्न यूनिट्स् में न्यूनतम वेतन विधान के अन्तर्गत समितियों की कार्य प्रणाली सम्बन्धित अधिनियमों में विभिन्नता होने के कारण यह जानकारी की इन समितियों का वैधानिक संचालन किन अधिनियमों द्वारा किया जा सकेगा, आवश्यक प्रतीत हुई। इस सम्बन्ध में शासन की ओर से प्रसारित किये गये स्पष्टीकरण की प्रति श्रम आयुक्त कार्यालय के ३ सितम्बर १९५७ के ज्ञापन द्वारा इस समिति को प्राप्त हुई जिसके पश्चात् सिमिति की गतिविधि प्रारम्भ की गयी।

बीड़ी मेकिंग नियोजन में पूर्व गठित राज्यों के चारों क्षेत्रों में एवम् वर्तमान मध्यप्रदेश की चतु:सीमा से लगे हुये अन्य राज्यों में क्या क्या दरें निश्चित हैं, इनकी जानकारी और समिति के

सदस्यों के व्यक्तिगत विचार इत्यादि समिति की पहली बैठक दिनांक १५-१०-५७ को बुलाने के पूर्व एकत्रित की गयी।

पूर्व गठित राज्यों में जो दरें निश्चित थीं, वे परिशिष्ट 'अ' में, एवम् अन्य राज्यों में निर्धारित दर परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है। साथ ही साथ शासन ने समिति की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने के हेतु राजपत्र में प्रकाशित हुई सूचना से चार माह की अवधि निर्धारित की थी, अन्तिम आदेश द्वारा इसकी अवधि १५-४-५८ तक बढ़ाई गयी है।

समिति की प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों की सलाह से एक प्रश्नावली तैयार की गयी जिसका नमूना परिशिष्ट 'स' में दिया गया है। प्रश्नावली सम्बन्धी विवरण निम्न प्रकार से है:—

कारखानों की संख्या जहां प्रश्नावली भेजी गई	२७८
प्रश्नावली का उत्तर जिन कारखानों से प्राप्त हुआ उनकी संख्या	६७
प्रश्नावली वापिस आई	८
कारखाने बन्द हो चुके	५
कारखानें, जिनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	१९८
बीड़ी संघ, जिनसे सुझाव प्राप्त हुए, उनकी संख्या	१०

इसके पूर्व मुख्य निर्माण निरीक्षक एवम् जिला सांख्यीय अधिकारियों से प्रान्त बीड़ी कारखानों की सूची उपलब्ध की गयी और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स, मध्यप्रदेश से बीड़ी उद्योग में राजेष्टीकृत यूनियन्स की सूची भी प्राप्त की गयी।

समिति की प्रथम बैठक दिनांक १५-१०-५७ में सर्वानुमति से यह निर्णय हुआ कि समिति प्रान्त के प्रमुख बीड़ी उद्योग केन्द्रों में जाकर वहां के नियोक्ता एवम् नियुक्तों से सम्पर्क स्थापित करें तथा उनके कार्य-वेतन एवम् कठिनाइयों सम्बन्धी जांच करें। जिन स्थानों को समिति ने भेंट करना उचित समझा, उनकी सूची इस प्रकार से है :—

(१) महाकौशल क्षेत्र:—जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर।

(२) मध्यभारत क्षेत्र:—सनावद, खरगौन, इन्दौर, रतलाम, जावरा, देवास, खातेगांव, कन्नौद, गुना, मुंगावली, चन्देरी, नरसिंहगढ़ व ब्यावरा।

(३) विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र:—रीवां, सतना, महीयर, उंचेरा और पन्ना।

(४) भोपाल क्षेत्र :—भोपाल और सीहोर

समिति की द्वितीय आवश्यक बैठक दिनांक २७-११-५७ में कार्य की महानता एवम् समिति के कार्यकाल की अवधि को देखते हुवे यह निर्णय किया गया कि समिति अपने यात्रा के स्थानों में कमी करे, और उसे शीघ्रता से निपटाने के लिये दो उप-समितियां निर्मित की गयी। उप-समितियों के यात्रा का विवरण भी बनाया गया। जिसके अनुसार दोनों उप-समितियों ने जिन स्थानों की यात्रा की, वे निम्न हैं:—

जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, सनावद, इन्दौर, रीवां, सतना, महीयर, पन्ना, भोपाल और सीहोर।

बीड़ी उद्योग का संक्षिप्त सर्वेक्षण.—बीड़ी उद्योग इस प्रान्त का एक पुराना एवम् प्रमुख उद्योग है एवम् उत्तरोत्तर उसमें प्रतिवर्ष उन्नति हो रही है। पहिले के पूर्व अब कारखानों की संख्या एवम् उसमें काम करनेवालों की संख्या में बहुत ही वृद्धि हुई है।

उपलब्ध अधिकृत सूचना द्वारा प्रान्त में छोटे बड़े लगभग ५०० से अधिक कारखाने हैं जिनमें दो लाख बत्तीस हजार श्रमिक काम करते हैं। श्रमिकों एवम् कारखानों की संख्या को देखते हुवे इस उद्योग में रजिस्ट्रीकृत संघों की संख्या बहुत ही कम है। यानी इस उद्योग में श्रमिक व्यवस्थित रूप से संगठित नहीं हैं जिसके कारण वे अपनी उचित मांगों का निराकरण मालिकों से कराने में असमर्थ रहते हैं। जिसके कारण कारखाने के मालिक उनसे अनियमित रूप से काम लेते हैं व व्यवहार करते हैं। इस कथन का पुष्टीकरण कई कारखानों में प्रचलित प्रणाली से स्पष्ट है, जिसका उल्लेख आगे किया है।

बीड़ी नियोजन में तीन प्रणालियों द्वारा काम होता है.— (१) बीड़ी कारखाने में, (२) ठेकेदारों द्वारा और (३) घर खाता। इनमें से घर खाता और छोटे कारखानों में काम करने की प्रणाली सबसे पुरानी है। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् इस उद्योग में काफी परिवर्तन हो गये हैं। यह उद्योग कई हाथों से निकल कर इने-गिने बड़े कारखानों तक सीमित रह गया है। इसी काल में ठेकेदारी प्रथा की भी विशेष रूप से उत्पत्ति हुई। जैसे-जैसे नये विधान यानी फैक्ट्रीज एक्ट, न्यूनतम वेतन विधान, पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट इत्यादि लागू हुए वैसेही बीड़ी उद्योग की कार्य प्रणालियों में भी परिवर्तन होता गया। इन विधानों से कारखानों के मालिकों के ऊपर जो उत्तरदायित्व है जसेकि आवश्यक रजिस्टरों का रखना, बच्चों को काम पर नहीं रखना, कार्यकाल एवम् विश्राम का समय, वेतन, श्रमिकों की संख्या इत्यादि से बचने के लिए बड़े कारखाने को छोटे बनाकर ठेकेदारी प्रथा को प्रोत्साहन मिला।

कारखानें

जिस स्थान पर २० से अधिक श्रमिक काम करते हों उसे फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत राजेष्टीकृत कराना आवश्यक है। ऐसे कारखानों की देखरेख मालिक अथवा उसका मैनेजर करता है। कारखाने में काम करनेवाले श्रमिकों को सन्ध्या के समय कारखाना बन्द होने के पूर्व तेन्दू के पत्ते प्रति हजार बीड़ी के हिसाब से निर्धारित प्रमाण में वितरित किये जाते हैं। इसकी दर १४ छटांक से सवा सेर तक प्रति हजार बीड़ी के आकार के अनुसार होती है। पत्तों का वितरण बीड़ी का आकार एवम् तम्बाखू की भर्ती के अनुसार निश्चित किया जाता है। प्रान्त के भिन्न-भिन्न स्थानों एवम् कारखानों में इसके लिये अलग-अलग तादाद निश्चित है। यह तादाद कारखानेदार और श्रमिकों के बीच महान विवाद का प्रश्न है। श्रमिकों की ओर से कहा जाता है कि पत्ते की तादाद व किस्म पर्याप्त नहीं है। और कारखानेदारों का आक्षेप श्रमिकों की अकुशलता बताई जाती है।

ठेकेदारी की प्रथा

फैक्ट्रीज एक्ट, न्यूनतम वेतन विधान इत्यादि एवम् उनके अन्तर्गत अधिनियमों से बचने और उद्योग को प्रशस्त और लाभकारी बनाने के हेतु ठेकेदारी प्रथा का निर्माण १० से १५ वर्ष की

अवधि में होना पाया जाता है। प्रमुख कारखानेदार भिन्न स्थानों में ठेकेदारों द्वारा अपनी बीड़ियां बनवाते हैं। कारखानेदार इन्हें बीड़ी पत्ता, तम्बाखू, धागा और अन्य उपयोगी सामान थोक राशि में बिना मूल्य देते हैं। इन वस्तुओं को लागत के अनुसार ठेकेदार श्रमिकों को देता है और उनसे बीड़ी बनवाता है। बीड़ी तैयार होने पर वो श्रमिकवार एकत्रित कर प्रमुख मालिक को देता है। ठेकेदार अपने निज की कोई भी धनराशि उद्योग में नहीं लगाता है। बनी हुई बीड़ी का मूल्य कारखानेदारों से प्राप्त कर श्रमिकों में वितरित करता है। कारखानेदार से ठेकेदार को केवल उसका कमिशन मिलता है। इस पद्धति द्वारा श्रमिकों को कारखाने में काम करनेवाले श्रमिकों की अपेक्षा एक दो आने प्रति हजार कम वेतन मिलता है। यद्यपि वह मूलतः निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नहीं रहता। ठेकेदारी पद्धति में प्रमुख कारखानेदार अपने आपको विविध नियमों के उत्तरदायित्व से ही नहीं बचा लेता है बल्कि कारखाने का स्थान, उसकी देखभाल इत्यादि कई खर्च से भी बच जाता है। ठेकेदारी प्रथा खासकर जबलपुर, सागर, दमोह क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। पत्ते, तम्बाखू, धागा व अन्य किस्म की वेतन कटोत्री सम्बन्धी शिकायतें इस पद्धति में विशेष रूप से पाई जाती है. जिसका उल्लेख उपयुक्त स्थान पर आगे किया गया है।

घर खाता

इस पद्धति में विशेष कर स्त्रियां अपने घर पर ही बीड़ी बनाती हैं, वे फैक्ट्रियां, जहां पुरुष श्रमिक काम करते हैं, वहां काम करना उचित नहीं समझती। इसके अलावा इस खाते में वे लोग, जो कि नियमों के अन्तर्गत फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपने अवकाश काल में आर्थिक लाभ की दृष्टि से बीड़ी बनाते हैं। कारखानेदारों के कर्मचारी इन श्रमिकों के घर पर हर किस्म का कच्चा माल पहिले दिन देकर तैयार की हुई बीड़ियां दूसरे दिन उनसे ले आते हैं और उनका वेतन चुका देते हैं। यह प्रथा भोपाल, सीहोर क्षेत्र में विशेष रूप से एवम् थोड़ी बहुत सर्वत्र व्यापक है।

बीड़ी पत्ता

तेन्दू के पत्ते जहां बहुतायत में मिलते हैं उसी क्षेत्र में अधिकांश बीड़ी के कारखाने पाये जाते हैं। मालगुजारी एवम् जागीरों के उन्मूलन के पूर्व छोटे ठेकेदार मालगुजार और जागीरदारों से बीड़ी पत्तों के जंगल ले लेते थे। लेकिन अब बीड़ी पत्तों के जंगल शासन के वन विभाग के अंतर्गत हो जाने से जंगलों का नीलाम वन विभाग द्वारा किया जाता है। नीलाम की बोली लगाने में छोटे व्यापारी और छोटे कारखानेदार प्रतिस्पर्धा में बड़ों के सम्मुख टिक नहीं पाते। जंगलों में पत्ती तुड़वाने का खर्च ८ आने से १ रुपया प्रति १०० गड्डी का पड़ता पाया जाता है। प्रत्येक गड्डी में ७०।८० पत्ते रहते हैं। पत्ती का औसतन वजन १००० गड्डी पर १॥ मन से २॥ मन तक आता है और पत्ती की तुड़ाई की औसत ७॥ रुपये प्रति हजार गड्डी से अधिक नहीं होती। छोटे कारखानेदार अपने कारखानों के लिये पत्ती बड़े कारखानों व व्यापारियों से खरीदते हैं। पत्ती के सम्बन्ध में प्रति हजार गड्डी का औसतन खर्च इस प्रकार से है:—

(१)	जंगल नीलाम	३-०-०
(२)	पत्ती तुड़ाई	७-८-०
(३)	ढुलाई, देखरेख व अन्य खर्च	२-०-०
	१,००० गड्डी की कुल लागत	१२-८-०

१,००० गड्डी का औसतन वजन १।। मन से २।। मन होता है तो १ मन की कीमत ७ रु. और ८ रु. के औसत से पड़ती है। इस हिसाब से पत्ते की लागत जंगल क्रयेता को ४ आने प्रति सेर के हिसाब से पड़ती है। प्रश्नावली में प्राप्त उत्तरों में इसकी दर ७ आने से लगाकर १० आने सेर तक दर्शायी गयी है जो कुछ अधिक मालूम होती है।

तम्बाखू

बीड़ी उत्पादन में सर्व साधारणतया गुजराती, नैपाली, सांगली व पंढरपुरी इत्यादि श्रेणियों की तम्बाखू उपयोग में ली जाती है जिनका भाव १२० रु. से २५० रुपये प्रति मन बताया गया है। ऋतु के मुताबिक इन तम्बाखुओं का मिश्रण बनाया जाता है। बीड़ी में भरी जानेवाली मिश्रित तम्बाखू की औसतन कीमत १६० रु. प्रतिमन के लगभग होती है। मध्यप्रदेश में ४ छटाक से १० छटाक तम्बाखू प्रति हजार बीड़ी के हिसाब से बनाई जाती है, इसलिये तम्बाखू की लागत १ रु. से २।। रु. प्रति हजार बीड़ी होती है।

धागा

बीड़ी बांधने के लिये धागा अधिकतर बिना मूल्य श्रमिकों को दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं धागे का मूल्य पारिश्रमिक में से काटा जाता है। यद्यपि इस कटौती का परिणाम अल्प होता है। श्रमिक इसे असमाधान की दृष्टि से देखता है। जहां कहीं भी धागा के सम्बन्ध में वेतन में से कटौती होती है उसकी राशि ३ से ६ नये पैसे प्रति हजार बीड़ी के हिसाब से पाई गयी है।

कटौती

समिति के समक्ष विभिन्न रूप से श्रमिकों के वेतन में कटौती की शिकायतें प्राप्त हुईं। पत्ते देने के सम्बन्ध में यह बताया गया कि १ हजार बीड़ी के हिसाब से पत्ता कम मात्रा में दिया जाता है और उसकी पूर्ति के लिये श्रमिक को ठेकेदार से पत्ता खरीदना पड़ता है। इसकी कीमत ठेकेदार श्रमिक के उपार्जित वेतन में से काट लेता है। इसी प्रकार की शिकायतें तम्बाखू और धागे के सम्बन्ध में भी मिली हैं। इसके अलावा कई कारखानेदार और ठेकेदार धर्मादा, मन्दिर, मस्जिद इत्यादि धार्मिक कार्यों के निमित्त भी प्राय: श्रमिकों की इच्छा के विरुद्ध उनके वेतन में से कुछ अंश काटते हैं। इस कटौती का सदुपयोग श्रमिकों के कल्याणार्थ खर्च किये जाये तो वह कुछ अंश में सार्थक हो सकता है। लेकिन ऐसा उपयोग होना कहीं नहीं पाया गया है। इसके अलावा बीड़ी छांट के विषय में मालिक और श्रमिकों के बीच तीव्र मतभेद है। उद्योगपति का कहना है कि कि केवल खराब बीड़ी ही छांटी जाती है और श्रमिकों का कथन है कि छांट की मात्रा केवल खराब बीड़ियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन्हें पारिश्रमिक कम मिले इस दृष्टि से कटोत्री की जाती है। क्योंकि उद्योगपति इन छांटी हुई बीड़ियों को निर्धारित विक्रय दरों से कुछ कम दर से बेच कर लाभ उठा लेते हैं जबकि इसका लाभ कुछ भी अंशों में श्रमिकों को नहीं दिया जाता। कहीं कहीं स्थानों में छांट के नाम पर पच्चीस से पच्चास बीड़ी मुफ्त ले ली जाती है। इस प्रकार से इन कटौत्रियों का योग औसतन दो से चार आना प्रति हजार बीड़ी होना पाया जाता है।

वेतन

पुनर्गठित मध्यप्रदेश के चारों इकाइयों में बीड़ी नियोजन में शासन द्वारा न्यूनतम वेतन विधान के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निश्चित किये गये हैं जैसाकि पहिले बताया जा चुका है और वहां परि-

शिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है। प्रायः हर क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम कहीं नहीं दिया जाता। लेकिन कटौतियों के कारण श्रमिकों को जो पारिश्रमिक मिलता है वह निर्धारित न्यूनतम वेतन से हो जाता है, ऐसा पाया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक कारखाने में वेतन, कुल बनाई जानेवाली बीड़ियों की औसत संख्या, प्रति हजार बीड़ी लागत तथा प्रति हजार बीड़ी बेचने का थोक व खेरची भाव का तुलनात्मक पत्रक परिशिष्ट 'ड' में दर्शाया गया है।

बीड़ी नियोजन में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन दरों के सम्बन्ध में उचित रूप से जांच की गयी है। सबसे पूर्व समिति के सदस्यों से उनके सुझाव मंगवाये गये एवम् सदस्यों द्वारा निश्चित प्रश्नावली द्वारा अधिक से अधिक कारखानों से सूचना प्राप्त की गयी जो परिशिष्ट 'ड' में एकत्रित दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त उप-समितियों ने प्रमुख बीड़ी निर्माण केन्द्रों में जाकर कारखानेदारों से श्रमिकों एवम् संगठित संघों द्वारा मौके पर जानकारी उपलब्ध की। समिति की सदस्या, श्रीमती कलावती दीक्षित, नियुक्त की प्रतिनिधि, ने अपनी रिपोर्ट दी है, वह परिशिष्ट 'ई' है। प्रश्नावली में बीड़ी उत्पादन नियोजन में कितनी लागत लगती है एवम् प्रत्येक कारखाने में कितनी बीड़ी बनाई जाती है, इसकी जानकारी का समावेश है।

प्रान्त के पुनर्गठन के पूर्व शासन द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गये थे एवम् जो दर दिए जा रहे हैं उन्हें आज की वर्तमान आर्थिक स्थिति से तुलना करने पर दरों में संशोधन करना एवम् उनकी असमानता दूर करना समिति ने सर्वानुमति से निश्चय किया है। इसके अतिरिक्त उन श्रेणी के व्यवसाय, जिनमें दूसरी इकाई के क्षेत्र में दर निर्धारित नहीं थे, उनमें चारों इकाइयों में समानता लाने के लिये सुझाव देना भी निश्चित हुआ। समिति के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि किस क्षेत्र में क्या दर रखी जाय। बीड़ी नियोजन के श्रमिकों के संघों द्वारा प्राप्त हुए अभिलेखों से उनकी मांग अधिकतर २।। रु. प्रति हजार बीड़ी बनाई की मांग भी की है। सागर में नियोक्ताओं के एक रजिस्टर्ड संघ, जो बीड़ी एन्ड टोबेको मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजिस्टर्ड नं. १६) सागर है। उन्होंने अपने एसोसियेशन की आवश्यक मीटिंग ४-१०-५७ में पास किये हुए प्रस्ताव की प्रतिलिपि समिति को प्रेषित की है। उक्त एसोसिएशन का सुझाव है कि बीड़ी व्यवसाय से सम्बन्धित कई केन्द्रीय, शासकीय एवम् स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाये गये करों में दिन पर दिन क्रमशः वृद्धि होती जा रही है जिससे यह उद्योग पनपने नहीं पारहा है। वर्तमान निर्धारित न्यूनतम वेतन अधिक है इसलिये यदि इनमें और वृद्धि की गयी तो इस उद्योग के व्यवसाय को न केवल भारी आर्थिक क्षति पहुंचेगी बल्कि छोटे-मोटे कारखानों का बंद हो जाना असम्भव नहीं है। वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक कृषि कार्य को छोड़ बीड़ी उद्योग में शहरों की ओर आकर्षित होंगे, जिससे महाकोशल क्षेत्र, जो प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है, को भारी हानि उठाना पड़ेगी। इन आपत्तियों को सम्मुख रखते हुवे एसोसिएशन ने बीड़ी नियोजन में निर्धारित एवम् प्रचलित दरों में वृद्धि करने का तीव्र विरोध किया है। प्रायः उपरोक्त कथन की पुष्टि प्रान्त के सबसे प्रमुख उद्योगपति श्री मोहन-लाल हरगोविन्द, जबलपुर और अनवरखां मेहबूबखां कम्पनी, जबलपुर ने भी की है। इसके अति-रिक्त उन्होंने यह भी बतलाया है कि मध्यप्रदेश के आसपास के शहरों एवम् प्रान्तों में जहांकि बीड़ी उद्योग में कम मजदूरी दी जा रही है, वे केन्द्र तरक्की कर रहे हैं। वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप यह होगा कि इस प्रान्त के उद्योग यहां से उठकर दूसरे प्रान्तों में चले जायेंगे और इस प्रान्त के बीड़ी-उद्योग के श्रमिकों के बेकार हो जाने की सम्भावना है।

नियोक्ताओं के इन सुझावों पर समिति ने ध्यान पूर्वक विचार किया। समिति ने इनके आक्षेपों को निरस्त करते हुए यह राय प्रकट की कि प्रान्त में कारखाने बन्द होने के बजाय अधिक संख्या में चालू हुए हैं और हो रहे हैं। बीड़ी का उत्पादन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। ये बातें नियोक्ताओं की आपत्तियों के पक्ष में नहीं हैं बल्कि उनके विपरीत है। इसी तरह अभी तक समिति के समक्ष यह बात कहीं भी नजर नहीं आयी कि बीड़ी उद्योग में अधिक वेतन निर्धारित होने के कारण कृषि-उद्योग को कहीं भी हानि पहुंची है। इस समिति में नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों द्वारा भी उपरोक्त उद्योगपतियों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों की पुष्टि नहीं की गयी। इसलिये समिति ने सर्वानुमति से निर्धारित एवम् प्रचलित वेतन दरों में संशोधन करना निश्चय किया।

न्यूनतम वेतन विधान का मूल उद्देश्य उन श्रमिकों को जो सुसंगठित नहीं है जिनमें नियोक्ताओं से बातचीत एवम् मांगें मन्जूर कराने की शक्ति नहीं है उन्हें नियोक्ताओं से राहत दिलाना है। श्रमिकों को यदि नियोक्ताओं द्वारा कम वेतन दिया जाता है तो वह विधान की शक्ति को अप्रभावित करने के समान है और यदि न्यूनतम वेतन में आवश्यकताओं से ऊंचे दर निर्धारित किये गये तो उनसे न केवल उत्पादन में कमी होगी बल्कि उससे बेकारी की भी समस्या उपस्थित होने का भय है। इसलिये नियोक्ताओं एवम् उद्योग की देय शक्ति और श्रमिकों के हितों को दर संशोधन करते समय सम्मुख रखना उचित एवम् न्याययुक्त होगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश के आसपास के प्रमुख बीड़ी केन्द्रों एवम् विभिन्न राज्यों में निर्धारित एवम् प्रचलित दरों पर भी विचार करना न्यायोचित है जिससे कि इस प्रदेश के उद्योग बन्द न हों।

प्रश्नावली द्वारा एकत्रित की गयी सूचना के आधार पर प्रति हजार बीड़ी के उत्पादन व बिक्री का सूक्ष्मकरण इस प्रकार से है:—

बीड़ी उत्पादन खर्च	...	२ रु. ६५ नये पैसे से ४ रु. ५५ नये पैसे तक
बीड़ी बिक्री के थोक भाव	...	३ रु. ५० नये पैसे से ५ रु. २७ नये पैसे तक
बीड़ी बिक्री के खेरची भाव	...	३ रु. ५० नये पैसे से ५ रु. ६२ नये पैसे तक

बीड़ी उद्योग में स्त्री और पुरुष दोनों ही बीड़ी बनाते हैं क्योंकि वे समान कार्य करते हैं। इसलिये उनको वेतन के दर में भी समानता रखी जाना ही उचित है।

इस समिति को जहां तक मालूम है कि राज्यों के पुनर्गठन होने के कारण देश के लगभग समस्त राज्यों में न्यूनतम वेतनों में संशोधन करने के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। इस प्रान्त का उन्नत वेतन स्तर का असर अन्य प्रान्तों में भी अवश्य होगा।

सुझाव

न्यूनतम वेतन निर्धारण के हेतु समिति ने सर्वानुमति से तीन क्षेत्र बनाये, जो इस प्रकार हैं:—

(अ) २०,००० या उससे ऊपर आबादीवाले शहर तथा उनकी १० मील की परिधि के क्षेत्र।

(ब) ५,००० से २०,००० तक की आबादीवाले शहर तथा उनकी १० मील की परिधि के क्षेत्र।

(स) ५,००० से कम आबादीवाले क्षेत्र।

उपरोक्त क्षेत्रों के हेतु बीड़ी नियोजन के श्रमिकों के लिये निम्न प्रकार से न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का सुझाव सर्वानुमति से मान्य हुआ :—

श्रमिक का वर्ग	(अ) क्षेत्र	(ब) क्षेत्र	(स) क्षेत्र
बीड़ी बनानेवाला श्रमिक	२ प्रति हजार बीड़ी	१.९४ नये पैसे प्रति हजार बीड़ी	१ रु. ८७ नये पैसे प्रति हजार बीड़ी
	घर खाते के श्रमिकों के लिये उपरोक्त दरों से (६ नये पैसे) १ आना प्रति हजार बीड़ी कम		
चेकर	७५ रु. प्रति माह या २ रु. ५० न. पै. प्रतिदिन	७० रु. प्रति माह या २ रु. २५ न.पै. प्रतिदिन	६० रु. प्रति माह या २ रु. प्रति दिन
झिल्लीवाला, सिकाईवाला रिलाईवाला पैकिंगवाला	६० रु. प्रतिमाह या ६ रु. २५ न. पै. प्रति लाख बीड़ी	५५ रु. प्रतिमाह या ६ रु. प्रति लाख बीड़ी	५० रु. प्रति माह या ५ रु. ७५ न. पै. प्रति-लाख बीड़ी
	२५ बीड़ियों के बन्डल का या		
	११ रु. प्रति लाख बीड़ी	१० रु. ५० न.पै. प्रति लाख बीड़ी	१० रु. प्रति लाख बीड़ी
	१० बीड़ियों के बन्डल का		
तम्बाखू मिलानेवाला	२ रु. प्रति दिन	२ रु. प्रति दिन	२ रु. प्रतिदिन

उपरोक्त प्रस्तावित वेतन की दरें समिति की दिनांक २५-२-५८ को इन्दौर में हुई बैठक, जिसमें सर्व श्री के. अमीनुद्दीन, श्री गंगाराम तिवारी, श्रीमती कलावती दीक्षित, श्री उमरावसिंहजी एवम् श्री रेहमतुल्ला तथा श्री ल. र. जोशी, अध्यक्ष, उपस्थित थे, सर्व सम्मति से स्वीकृत किये गये।

इस समिति के लिये यह बड़े गर्व की बात है कि समिति की गतिविधि एवं सुझाव सर्व सम्मति से निश्चित हुए इसलिये समिति के सब मनोनीत सदस्य विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

---

(१) ल. र. जोशी. अध्यक्ष (२) G. N. Arora (३) जरदार

(४) I agree with the report—Umraosingh

(५) मैं रिपोर्ट से सहमत हूं—Rahmatullah

(६) साथ में दिए पृथक नोट के साथ में रिपोर्ट से सहमत हूं—गं. रा. तिवारी

(७) परिशिष्ट 'ई' जो मेरी रिपोर्ट है के अन्त में खण्ड ४ के पेज २८ से ३१ तक जो पत्ती, धागा, कटी-छटी धर्मादा आदि के संबंध में मैंने जो सुझाव दिया है, उसके सहित मैं रिपोर्ट से सहमत हूं। क्योंकि जो समिति की रिपोर्ट है उसमें ये चीजें छूट गई हैं अतः मेरी रिपोर्ट को देखा जाय—डॉ. कलावती दीक्षित।

(८) समिति ने जो तीन क्षेत्र बनाये हैं उनमें से "अ" व "ब" क्षेत्र के १० मील की परिधि जो रक्खी गयी है, उसे १० मील नहीं रख कर ५ मील रक्खी जाय, ऐसा मेरा सुझाव है ताकि उन्हें वह छूटलियत मिल सके जो समिति ने कम आवादी वाले क्षेत्रों में दी है।

(ह.) अपठित

नोट.—(१) श्री गंगाराम तिवारी से पृथक् नोट प्राप्त नहीं हुआ।

(२) परिशिष्ट 'ई' 'मतभेद-पत्र' में समावेश है।

मतभेद पत्र

डॉ. कलावती दीक्षित सदस्या द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रस्तावना

बीड़ी श्रमिकों के वेतन का विचार एवम् परामर्श करने के पहले हमें थोड़ासा अध्ययन बीड़ी के धन्धे, मालिकों और मजदूरों के विषय में करना आवश्यक हो जाता है। वैसे इस उद्योग के मालिकों और मजदूरों का यदि प्रारम्भ से अथवा सन् १९४२ के पश्चात् का इतिहास देखें तो एक दुनिया ही बदली हुई दिखाई देगी। इतने कम अवकाश में जिस एक मालिक ने अपनी खुद बीड़ी बनाकर बेचना शुरू किया वह करोड़ों का धनी तथा एक मजदूर जो उन्हींके साथ बीड़ी बनाता था, मजदूरी करता रहा, जीवन भर रोटी कपड़े को मुहताज रहा। युद्ध के जमाने से याने सन् ४२ के बाद तो इस उद्योग की पूरी काया पलट ही हो गई। यह उद्योग कई हाथों से निकलकर कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रह गया। जबकि पहले १,००० या पांच सौ रुपये में भी इस उद्योग को कर सकते थे, अब वह लाखों रुपयों से कम में नहीं हो सकता। और पुराने लड़ाई के जमाने में पैसा पैदा किये हुये आदमियों के सामने फिर भी मुश्किल जावेगी।

इन्हीं दिनों ठेकेदारी प्रथा का भी खूब प्रचलन हुआ। दूकानों में बीड़ी बनवाना बन्द कर दिया गया। खैर, इस विषय से सम्बन्ध नहीं। अब पहला प्रश्न यह विचार करने का है कि मालिक एवम् मजदूर जो एक दूसरे का सहयोगी है, आज के युग में साझेदार भी कहलाता है, बिना एक के दूसरे का कार्य नहीं चला सकता परस्पर किस न्याय से विभाजन करते हैं। और एक ही देश के दो भाई किन तरीकों से अपना-अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एक पूंजी लगानेवाला मालिक। शुरू में उसके पास पूंजी नहीं थी। कितना हिस्सा लेता है, कैसे रहता है, और बाकी हजारों सहयोगी क्या पाते हैं? कैसे रहते हैं? हर दृष्टि से, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक, चाहे किसी भी वाद के सिद्धान्त से हो, जहां भी मानवता रहेगी, यह चीज तो सोचना जरूरी होगा!

भाग १

अ–१-मालिक.—

बीड़ी तैयार करानेवाले व्यवसायी को नीचे लिखी वस्तुएं एवं लागत की जरूरत होती है।

क–तम्बाखू-(जरदा).–

तीन या चार किस्म की भिन्न-भिन्न तम्बाखू को मिलाकर बीड़ी तैयार करते हैं। यदि तेज अच्छी प्रकार (वेस्ट क्वालिटी) की ही तम्बाकू बीड़ियों में भरें तो वह इतनी तेज हो जावे कि पी नहीं सकते, और हल्की साधारण किस्म की तम्बाखू से जितनी तेजी चाहिये वह नहीं रहती अतः ऋतु के मुताबिक मिक्स्चर किया जाता है। ठन्ड में तेज और गर्मी में कुछ हल्का मेल रखते हैं। इसलिये ३/४ किस्म की तम्बाखू मिलाकर ऋतु के अनुसार एक किस्म की तम्बाखू तैयार करते हैं। हल्के किस्म की तम्बाखू की कीमत लगभग ३० रु. मन, मध्यम की लगभग ४५/५० रु. मन, और अच्छे किस्म की लगभग ७५ रु. मन से अधिक नहीं होती। (थोक भाव गुजरात में खड़ी फसलों के रूप में अथवा लाखों रुपयों की एक साथ खरीदने पर कम ही पड़ती होगी) इस प्रकार औसत बीड़ी के जरदे के मिश्रण की कीमत ५०रु. मनसे अधिक नहीं हो सकती। इस पर ८२ रु. मन सरकारी ड्यूटी याने कुल मिलाकर ५० + ८२ १३२ रु. मन के करीब जरदे की कीमत हुई, इससे अधिक नहीं।

जरदा फी मन १३२ रु. याने सवा सेर...	४- २-०
बड़ी बीड़ी पर जरदा ५ या ५।। छटांक कीमत	१- ०-६
छोटी बीड़ी पर जरदा ४ या ४।। ,, ...	०-१३-३
छोटी बीड़ी पर जरदा ३ या ३।। ,, ...	०-१०-०

सूचना.– जरदा कम हो जाने पर ठेकेदारों से ५ रु. सेर कीमत काटी जाती है।

ख–(पत्ती).–

इस प्रान्त में और खास तौर से उन जिलों में जहां बीड़ी बनती है, मुख्य कारण बीड़ी बनने का अधिकांश में पत्ती का पैदा होना, और ऊंची किस्म (वेस्ट क्वालिटी) की पत्ती प्राप्त होना है। पहले इस उद्योग को चलाने में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती थी। जंगल से पत्ती तुड़ाने का व्यापार अलग चलता था। बीड़ी पत्ती के जंगल मालगुजारों से फुटकर-फुटकर मिलते थे। साधारण व्यक्ति भी जंगल खरीद कर पत्ती तुड़वाते और उसे बेचते थे। इससे हजारों मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों का व्यापार भी चलता था। पर अब बीड़ी के बड़े-बड़े व्यवसायियों का ही कब्जा इस व्यापार पर है। पत्ती तुड़वाने को आजकल जंगलों के रेंज के रेंज १५०।२०० गावों तक आ जाते हैं, इकट्ठे नीलाम होते हैं। इकट्ठे खरीदने की क्षमता अब इन्हीं लोगों में बच रही है, और तुड़वाई की प्रतिद्वन्दिता भी नहीं रही।

जंगल में पत्ती तुड़वाने का खर्च ८ आने, १० आने, १२ आने, १ रु. तक १०० गड्डी (एक गड्डी में ७०-८० पत्ते) का पड़ता है। इस पत्ती का वजन १,००० गड्डी पर १।। मन से लगा कर २।। मन तक की औसत आती है. (जहां जैसा छोटा वड़ा पत्ता पैदा हो गया) तो अब पत्ती तुड़ाई की औसत ७।। हजार गड्डी से अधिक नहीं होती। याने ४ रु. मन से अधिक तुड़वाई पड़ ही नहीं सकती। जंगल नीलाम का खर्च

३ रु. हजार अथवा २ रु. मन से अधिक नहीं होता। दीगर खर्च-ढुलाई, भराई, वारदाना आदि ३ रु. हजार या २ रु. मन पड़ता है। इस प्रकार पत्ती का भाव ज्यादा से ज्यादा—

		अधिकतम
(१) जंगल नीलाम १,०००गड्डी	... ...	३-०-०
(२) तुड़ाई	,, ...	७-८-०
(३) खर्च	,, ...	२-०-०
१,००० गड्डी की कुल लागत अधिकतम	... ...	१२-८-०

,, ,, का एवरेज वजन १॥ मन से २॥ मन

तो कीमत एक मन ... ... ७ रु. या ८ रु. अधिक नहीं।

१ सेर पत्ती ... ... १ हजार बीड़ी बड़ी पर

१४ छटांक पत्ती ... ... १ हजार बीड़ी छोटी पर

सूचना.—

दूकानदार और ठेकेदार, क्रमानुसार पत्ती पर मजदूरी से मुनाफा लेता है। इकट्ठे जंगलों में से कूट कर जंगल बेच कर भी हजारों रुपयों का रोजगार हो जाता है। पत्ती के भाव स्थाई नहीं रहते, कम लागत भी पड़ती है।

कारीगर को ८ आने सेर याने २० रु. मन के भाव से पत्ती की कीमत देना पड़ती है। विन्ध्यप्रदेश की पत्ती बड़ी होती है। यहां की पत्ती का वजन २ मन २॥ मन फी हजार का आता है। यहां पैसे की ३ या ४ गड्डी टूटती है। इसका हिसाब लगाना अनिवार्य है।

ग—मजदूरी बीड़ी बनवाई फी हजार ठेकेदार को—

मौजूदा मजदूरी शहर	... ...	१-८-०	१-९-०
,, ,, देहात	... ...	१-६-०	१-७-०

माह मई से नवम्बर तक २ रु. २ आने मय पत्ती ठेकेदारों को सागर, और १ रु. १३ आने (१रु. १२आने बिना पत्ती ठेकेदारों को)

माह मई से नवम्बर तक मजदूर को रेट १-७-०, १-८-०, १-९-० ठेकेदार के यहां रु. १-१२-०, १-१३-० मजदूरों को रेट सागर में सेठों की खुद की ब्रान्चों पर मौजूदा मजदूरी शहर कारीगर

मजदूरी शहर कारीगर...	... ...	रु. १-५-०		
,, देहात ,, ...	... ...	रु. १-४-०	१-३-०	१-२-०

घः—झिल्ली पतला कागज बन्डल पेकिंग के काम आने का

झिल्ली का भाव सागर ...	... ...	रु. १५-०-० रीम
छपाई	... ...	रु. ४-८-०
		रु. १९-८-०

१. १ दस्ते कागज़ में १२,००० बीड़ी बड़ी,
१ दस्ते कागज में १४,००० बीड़ी छोटी पॅक होती है।

२. लेबल-चिट

लेबल	१,०००	रु. १-०-०
चिट	१,०००	रु. ०-१०-०
		रु. १-१०-०

४० बन्डल याने १,००० बीड़ी पर ४० लेबल ४० चिट लगते हैं।
१,००० बीड़ी पर लेबल चिट का खर्च १ आना सिर्फ।

३. **ब्राउन कागज**–(बन्डलों को एक साथ ५०० बीड़ी की पेकिंग २० बन्डल)

१ रीम सागर भाव	४५-०-०	
१ दस्ते कागज में बड़ी बीड़ी	७२,०००	पॅक होती हैं।
१ दस्ते कागज में छोटी बीड़ी	६६,०००	

(थोक का भाव नहीं मालूम)

४. (धागा).–
४० रु. पूड़ा साटा (गांठों में, थोक में और सस्ता)
११ आने में १ गोंना, १ गोंने में १० लतियां।

सूचना:–
(कई व्यापारी ठेकेदारों को धागा मुफ्त देने लगे हैं। कई एक नहीं देते जैसे चिन्तामनरावजी)। जो व्यापारी मुफ्त नहीं देता वह ठेकेदार को १ रु. वा १ गोना देता है और ठेकेदार २ आने की १ लतियां याने १। रु. गोना मजदूर को। १ गोना में ५०,००० बीड़ी बनी। १ लाख बीड़ी २ गोना अर्थात् २ रु. के लिए तो जिसके यहां १ करोड़ बीड़ी बनी।

सट्टेदारों से लिया धागा का	२००	प्रतिदिन
	६,०००	प्रतिमाह
	७२,०००	प्रति वर्ष

मजदूरों को सवाया अपनी मजदूरी में से सिर्फ धागे का देना पड़ता है। दूकानदार को इसमें भी मुनाफा है ६०,०००। मजदूरों को सट्टेदारों को देना पड़ा–पत्ती और जरदे का भी मुनाफा जो बहुत अधिक है, हिसाब लगाकर देखिये।

५. दीगर पेकिंग ... ... खांचा बौरा ०-०-६

६. रेल कमीशन, दूकान खर्च ०-४-०

७. ब्याज.–जब मुनाफा लिया जाये तो ब्याज का प्रश्न नहीं उठता। और यदि ब्याज मिले तो उनकी पूंजी का एवजाना ब्याज हो गया। बाकी आमदनी का आधा हिस्सा मजदूरी के बाद बांटना चाहिये।

मालिक की लागत फी हजार–बड़ी बीड़ी पर अधिकतम

तम्बाखू	...	...	५ छटाक	रु. १-०-०
पत्ती	...	...	१ सेर	रु. ०-३-६
मजदूरी ठेकेदार	...	...	...	रु. १-६-०
लेबल चिट	...	...	...	रु. ०-१-०
झिल्ली कागज	...	...	...	रु. ०-०-६
ब्राउन कागज	...	...	...	रु. ०-०-६
धागा बारदाना	...	...	...	रु. ०-०-६
कमिशन	...	...	...	रु. ०-२-०
				रु. ३-१-०
रेल	...	...	...	रु. ०-२-० अधिकतम
एड्व्हर्टाइज	...	...	...	रु. ०-२-० ,,
दुकान दीगर	...	...	...	रु. ०-२-० ,,
				रु. ३-७-०

लागत फी हजार छोटी बीड़ी

तम्बाखू	...	...	४ छटाक	रु. ०-१३-०
पत्ती	...	...	१२ छटाक	रु. ०- ३-०
मजदूरी ठेकेदार	...	...	...	रु. १- ८-०
लेबल चिट	...	...	...	रु. ०- १-०
झिल्ली कागज	...	...	...	रु. ०- ०-६
ब्राउन कागज	...	...	...	रु. ०- ०-६
धागा बारदाना	...	...	...	रु. ०- ०-६
कमिशन ...	...	...	...	रु. ०- २-०
				रु. २-१२-६
रेल	...	...	...	रु. ०-२-० अधिकतम
एड्व्हर्टाइज	...	...	...	रु. ०-२-०
दुकान दीगर	...	...	...	रु. ०-२-०
				रु. ३-२-६

जबलपुर, मोहनलाल हरगोविन्द की शेर छाप बीड़ी में ४ छटाक तम्बाखू लगती है पर इसीकी छोटी बड़ी महबूब खां अनवरखां के यहां एक किस्म की और छोटी बनती है जिसकी तम्बाखू भरती करीब ३ छटाक है। पत्ती भी कम लगती है पर भाव बीड़ियों के विकने का एक समान है।

लागत छांट बड़ी बीड़ी पर–

छांट पर मजदूरी नहीं लगी	रु. १-६-०
छांट पर एड्व्हर्टाइजमेन्ट नहीं	रु. ०-२-०
	रु. १-११-०
लागत असली बीड़ी	रु. ३-६- ६
मजदूरी एड्व्हर्टाइजमेन्ट	रु. १-११-०
	रु. १-११-६

लागत छांट बीड़ी पर –

लागत असली बीड़ी	रु. ३-२-६
मजदूरी एड्व्हर्टाइजमेन्ट	रु. १-१०-०
लागत	रु. १-८-६

बचत

स्थानीय बिक्री रेट जहां रेल का खर्च नहीं पड़ता :–

बिक्री	लागत	मुनाफा
रु. आ. पा.	रु. आ. पा.	रु. आ. पा.
४-१२-०	३-५-०	१- ७-०
४- ८-०	३-०-०	१- ८-०
४-१२-०	३-०-०	१-१२-०

बाहरी बिक्री–आउट ऑफ स्टेशन –

बिक्री	लागत	मुनाफा
रु. आ. पा.	रु. आ. पा.	रु. आ. पा.
५- ०-०	३-२-०	१-१४-०
४-१२-०	३-२-०	१-१०-०
५- ०-०	३-७-०	१- ९-०
५- ८-०	३-७-०	२- १-०
६- ०-०	३-८-०	२- ८-०

६ और ६।। रु. बिक्री का रेट बीड़ी नं. २२ बृजलाल मणीलाल (चिन्तामनरावजी गोदिया वाल सागर का) दिल्ली में है वहां उनकी बीड़ी ३ आने बन्डल बिकती है। अनवरखां की बीड़ी बहुत कम भरती होने पर ५ रु. से कम नहीं बिकती। इस प्रकार से भिन्न-भिन्न किस्म की बीड़ियों पर कम-बढ़ मुनाफे का अन्दाज है। अब अनुमान कीजिये कि जिसके यहां ५ करोड़, १ करोड़, ६०, ८०, ६०, १०, ५ लाख बीड़ी बनती है प्रति मालिक प्रतिदिन क्या पैदा करता है।

बचत-आमदनी फी हजार छांट बीड़ी पर—

बिक्री	लागत	बचत
३- ०-०	१-११-६	१- ४-६
२-१२-०	१-८- ६	१- ३-६
३- ८-०	१-११-६	१-१२-६

स्थानीय बिक्री में रेल का खर्च लागत में कम हो जायगा।

सूचना.—छांट बीड़ी पर मजदूर को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। इससे मजदूरों की लागत कम हो जाती है। इस बीड़ी की सस्ताई के कारण खूब मांग रहती है और न व्यापारी को इसके बेचने में प्रचार खर्च उठाना पड़ता है यहां प्रचार खर्च बनवाई लागत में से कम हो गयी।

ऊपर की बचत के अलावा सेठ बन्धुओं को (जो यह पत्ती ठेकेदारों को देते हैं उनसे १।। गुना पैसा काटते हैं) धागे भी ठेकेदारों को बिक्री करते हैं। जरदा की कमी पर भी मुनाफा लेते हैं। हर एक ठेकेदार श्रमिकों से १।। गुना करता है। बचत होती है।

२—ठेकेदार (सट्टेदार):—

ठेकेदारों का कार्य अपने अपने कारखानों में सेठों की बीड़ी तैयार कराना होता है। इन्हें तम्बाखू, पत्ती, धागा अनिवार्य रूप से सेठों से लेना पड़ती है। और सेठ (कारखाने के मालिक) इन चीजों को अपने निश्चित भाव से देकर बीड़ी बनवाता है। तम्बाखू पत्ती का हिसाब ठेकेदार को दुकानदार को देना पड़ता है। दूकानदार समय-समय पर ठेकेदार का बीड़ी का रेट निश्चित करता रहता है। इनकी स्थिति ब्रिटिश के मालगुजारों के समान है। शुरू शुरू में ज्यों ज्यों उद्योग बढ़ता गया, उद्योगपतियों ने हजारों रुपया हर एक ठेकेदार को अपनी बीड़ी बनवाने के लिये पेशगी दिये और उनसे बीड़ी बनवाने के लिये ठेके की दुकानें खुलवाई। न सिर्फ शहरों में बल्कि दूर-दूर देहातों में अपने कारीगर और नौकर इस कार्य को भेजे। और यह ठेकेदारी कार्य तथा श्रमिकों को लालच देकर अपना कार्य फैला दिया। अब तो बहुत से अधिकांश जमीदार और बड़े-बड़े किसान अपने-अपने देहातों में बीड़ी की ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं। लाखों बीड़ियां एक-एक ठेके में बनवाकर बीड़ी कारखाने के ठेके द्वारा सैकड़ों हजारों रुपया का मुनाफा उठा रहे हैं।

बीड़ी मालिक ठेकेदारों से बीड़ी तो बनवाते हैं अपना माल भी अच्छा लेते हैं पर मजदूरों के सम्बन्ध में उन्हें हर प्रकार से स्वतन्त्रता दे रखी है। ये ठेकेदार जिस चाहे रेट से मजदूरों से बीड़ी बनवाएं, बीड़ी की छांट करें, कटी-काटे जैसी चाहे जिस भाव से पत्ती दें, धर्मादा लें, पर कारखानेदार को कोई मतलब नहीं, कारण वह खुद अच्छा-बुरा माल देकर इनके जरिये मजदूरों से वसूल करता है। वह पत्ती, धागा पर मुनाफा भी उठाता है और मजदूरों के कानूनी जिम्मेदारी से दूर रहता है।

ठेकेदार की फी हजार बीड़ी पर मुनाफा ४ आने, ६ आने, ८ आने, १० आने हजार जो जैसा शहरों से दूर रहकर शोषण कर सके, मुनाफा करता है। इसके सिवाय छटी, कटी, पत्ती, धागा, धर्मादा पर मुनाफा अलग हो जाता है। इनकी बीड़ी बनवाने की तादाद लाखों की होती है। यदि दूकानदार इन्हें १ सेर पत्ती १००० बीड़ी बनवाने को देंगे तो यह १४ छटाक मजदूरों को देंगे। धागा यदि दूकानदार मुफ्त देगा तो भी ये मजदूरों से पैसा लेकर देंगे। और यदि दुकानदार इनको बेचें तो उससे १।। गुनी कीमत मजदूरों से लेंगे। इसी प्रकार हर चीज पर मुनाफा रहता है। ठेकेदार मालिकों से बचा रहता है इसलिये दूकानदार जैसी पत्ती दें, बीड़ी छांटें, चुपचाप सहनकर उसकी दूनी मजदूरों से पूर्ति करता है। इससे उसे कभी भी नुकसान का डर नहीं रहता। मजदूरों का पूर्ण रूप से शोषण एवम् कानूनन दूर रहने का माध्यम ठेकेदार है।

ठेकेदारी प्रथा क्यों ?

ज्यों ज्यों कानून का ज्ञान और मांग होती गयी, दुकानदार ने खुद की बीड़ी बनवाने की दुकानें बन्द कर सट्टा बढ़ाए। अभी इन्क्वायरी कमिटी के समय जो दुकानदार सागर में अपनी निजी बीड़ी बनवाने की दुकानें खोले थे उन्होंने इन्कार किया कि वह कोई भी ब्रान्च नहीं खोले थे। ये ब्रांचें भी ये लोग अपने किसी नौकर अथवा रिश्तेदार के नाम खोले थे। इन ब्रांचों में मजदूरों को १ रु. १२ आने से १ रु. १४ आने तक बीड़ी बनवाई रेट मिलता था। सिद्धनाथ तिवारी पीला फूल सागर दुकान बनवाई रेट १ रु. १२ आने अब १।। रु., १ रु. ६ आने, काले खां ब्रांच, भगदास शोभालाल ब्रांच, छोटा जेठा सदर सागर इनकी ब्रांचों में १ रु. १२ आने नवम्बर तक मिला। इन्क्वायरी कमेटी के समय ये ब्रांचें क्यों बन्द कर दी गयीं ?

चूंकि मध्यप्रदेश में और खास सागर, दमोह, जबलपुर जिलों में ५ करोड़ २-१ करोड़ इसी प्रकार १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ६० लाख बीड़ी प्रतिदिन तैयार कराने वाले कारखानेदार हैं। इसी अनुपात से बीड़ी बनाने वालों की संख्या प्रतिदिन के हिसाब से एक एक कारखाने के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। जिनकी तादाद ३०, २०, १० हजार और कम जहां जैसी बीड़ी बनी उसकी उसके मुताबिक है। प्रत्येक मजदूर से फी हजार बीड़ी की बनवाई से काफी मुनाफा लिया जाता है परन्तु उनके कानूनी हक न देना पड़े और यदि कोई श्रमिकों के हकों का सवाल उठे तो कहे कि इसके जिम्मेदार ठेकेदार हैं। परबाहरा टालने अथवा कानून की ढाल से बचने का और लाखों लोगों को कानून से वंचित करने का यह मार्ग है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर श्रमिकों को उनके हक कहीं से भी मिलें। इसका निर्णय होना चाहिये कि ये किसके श्रमिक हैं। सेठों के अथवा ठेकेदारों के ? चाहे दुकानदार दे चाहे ठेकेदार, उसे तो अपने हक चाहिये, जिसके वह श्रमिक हो, वह उनके कानून की पूर्ति करे। कानून सब के लिये है, ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदारों को कानून नहीं है।

जहां ठेकेदारी प्रथा नहीं है वहां मजदूर को बीड़ी बनाने का रेट अधिक मिल जाता है और दीगर कटौती से बच जाता है। मालिक ठेकेदारों से माल मुनाफा लेते हैं। और ठेकेदार मजदूरों से, इस प्रकार मजदूरों पर दोहरी मार पड़ती है।

ठेकेदारी प्रथा का बीड़ी के स्तर पर असर

सागर, दमोह, जबलपुर की बीड़ियां सारे भारतवर्ष म अच्छी क्वालिटी के लिये प्रसिद्ध हैं। पर कुछ दिनों से कुछ कुछ बदनामी सी होने लगी है। यहां के सेठ लोग भी बीड़ी बनवाने

के लिये गोंदिया में ब्रांचें खोले हैं। कारण वहां ठेकेदारी (सट्टा) प्रथा नहीं है। सब माल दुकानों पर बनता है जिससे कि माल सही निरीक्षण के कारण अच्छा प्राप्त होता है। दूसरी ओर यहां सागर, दमोह, जबलपुर में माल सट्टों के जरिये बनने के कारण कुछ घटिया बनने लगा है। बहुत से छोटे छोटे दुकानदार जो यहां १०।५० हजार या १ लाख बीड़ी तैयार कराते हैं, इन्हें दुकानदारों के ठेकेदारों अथवा कारीगरों से जरदा खरीद लेते हैं जो उन्हें बाजार भाव से सस्ता पड़ता है। क्योंकि इस पर उन्हें गव्हर्नमेंट ड्यूटी बच जाती है—कारीगर को मुफ्त में पड़ता है। बीड़ी सस्ती बनवाकर इन्हीं से काम्पिटीशन करते हैं। लोग कम जरदा भरवाते अथवा उसकी ऐवज में चिलम में पीने की बहुत सस्ती तम्बाखू मेल कर देते हैं जिससे दुकानदारों की बीड़ी की क्वालिटी में फर्क आता है। इस चोरी के मेल से तथा सामो बीड़ी न बनने से सही बीड़ी जैसी बाजार में आना चाहिये नहीं आ पाती। इसलिये मेरा सरकार एवम् दुकानदारों से अनुरोध है कि प्रान्त में इस धन्धे को कायम रखने के लिये सही माल दिया जावे और यह तभी हो सकता है जब माल सामने खुद के निरीक्षण में बने। यही कारण है कि गोंदिया में जहां ठेकेदारी प्रथा नहीं है, सेठ लोग बीड़ी बनवा रहे हैं, यहां की बीड़ी प्रसिद्धि पा रही है।

ठेकेदार की लागत और मुनाफा

शुरू शुरू में अधिकांश ठेकेदार बीड़ी बनाने वाले मजदूर थे। दुकानदार ने इन्हें पेशगी रुपया दे देकर सट्टे खुलवाये। इन लोगों की अब १००० रु. से ५००० रु. तक पेशगी फैली है। इन्हें तम्बाखू, पत्ती, धागा दुकानदारों के वहां से मिलता है, इससे इन चीजों पर कोई लागत नहीं लगती। यदि ऊपर के सामान में कमी हुई तो दुकानदार उसकी कीमत मय मुनाफे के काट लेता है। ये लोग मजदूर से मय मुनाफे के काटते हैं।

बीड़ी जरदा पत्ती को दुकान से लाना और दे जाने की मजदूरी, खुद की मेहनत और अब जो पेशगी फैली है, यही इनकी पूंजी है। कटी, छटी, धर्मादा, पत्ती, धागा का मुनाफा से ऊपरी खर्च सब निकल जाता है। पेशगी देने से कुछ रेट में भी किफायत हो जाती है।

दुकानदार के रेट बढ़ाने पर वह दो चार हफ्ता परबाहरा रख लेते हैं, मजदूरों को नहीं देते, और यदि घटा तो फिर मजदूरों पर तो घट ही जाता है।

भाग २

१ अ—बीड़ी बनाने वाला मजदूरः

बीड़ी श्रमिक, शाम को पत्ती भिगोता, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर बीड़ी के फरमे से पत्ती काटता और अच्छी-खराब पत्ती छांटता। १,००० बीड़ी की पत्ती काटने में मजदूर को २ घंटे से कम समय नहीं लगता। जबलपुर में १, ००० बीड़ी की पत्ती की कटवाई ३ आने मजदूर को देना पड़ती है। बीड़ी मजदूर जितना नया होता है उतनी उससे अधिक बीड़ी बनती है। ५-१० वर्ष में मजदूर की मजदूरी की क्षमता (शक्ति) कम हो जाती है। बहुतेरे पुराने श्रमिक १०-१२ साल कार्य करने के बाद ५००-७०० बीड़ी ही बना पाते हैं वैसे नये कारीगरों की ४-५-६ बन्डल प्रति घन्टा बीड़ी बनती है। एक बन्डल २५ बीड़ी—आठ घन्टे में ये लोग ८००-१,००० बीड़ी बना पाते हैं एवरेज ८०० बीड़ी। इन्हें बीड़ी बनाने के साथ-साथ २५-२५ या १२-१२ बीड़ी के बन्डल बांध कर और सुधार कर देना पड़ता है, इस कार्य में भी इनका १ घन्टे से कम समय नहीं लगता। तब कहीं १२ घन्टे में १ मजदूर जो ठीक से कार्य करने की क्षमता रखता है, १,००० बीड़ी बना पाता है। (हर एक मजदूर नहीं) इसके अलावा इन्हें बीड़ी छटवाने ठेकेदार के यहां जाना पड़ता है। वहां बीड़ी छटवाता, जरदा पत्ती लेता और छटी हुई बीड़ी बांधता, इस कार्य में भी उसे समय खर्च करना पड़ता है।

बीड़ी मजदूर को ठेकेदार से १,००० बीड़ी बनाने के लिये सागर, दमोह, जबलपुर में १४ छटाक एवं १२ छटाक बड़ी-छोटी बीड़ी पर क्रमशः पत्ती मिलती है, पर वह २ छटाक का मुनाफा मजदूर से पत्ती देने पर ही कर लेता है। यद्यपि ठेकेदार को दुकानदार से १ सेर और १४ छटांक पत्ती क्रमशः मिलती है। इतनी पत्ती में मजदूर की ७००-८०० बीड़ी ही बन पाती है, बाकी उसकी बीड़ी की २००-३०० की पत्ती घट जाती है, जिसकी ऐवज में मजदूर को आठ आना सेर की पत्ती खरीद कर लगाना पड़ती है।

छत्तीसगढ़, विन्ध्यप्रदेश, गोंदिया में १,००० बीड़ी के लिये १। सेर पत्ती मिलती है और उसे वह अधिकार रहता है कि वह पत्ती छांटकर ले, यहां पत्ती कम होने की कम शिकायत है।

सागर, दमोह, जबलपुर में कुछ दुकानों से ठेकेदारों को मुफ्त धागा बीड़ी में लगाने को दिया जाता है। कई दुकानों पर ठेकेदारों को १ रु. प्रति गौना बेचा जाता है। बहुत कम ठेकेदार ऐसे हैं जो मुफ्त धागा मजदूर को देते हों। बाकी २ आना की लतिया याने १। रु. गोना के हिसाब से मजदूर को गांठ से बीड़ी में लगाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में धागा मजदूर को गांठ से नहीं लगाना पड़ता। मालिक अपना धागा मजदूर को मुफ्त देता है।

यदि मजदूर को खराब पत्ती दी जावे तो उससे अच्छी हरी पत्ती लगाने को कहा जाता है, नहीं तो उसकी बनी बनाई बीड़ी उसी पत्ती की जो ठेकेदार देता है, छट जाती है। मजदूर के पास जंगल नहीं होता। पहले कम पत्ती देना, फिर खराब पत्ती देकर उससे अच्छी पत्ती मय मुनाफा के लेना एवम् इस तरह पत्ती की बीड़ी छांटकर श्रमिक की इतनी मेहनत बरबाद करना छत्तीसगढ़ में ऐसी इस तरह की शिकायत नहीं है।

हर एक मजदूर की १००-५०-२०० बीड़ियां छांट दी जाती हैं। यदि बीड़ियां छांटने लायक न भी हुई याने मजदूर ने सब बीड़ियां अच्छी बनाई तो भी १-२ बन्डल (२५-५०) बीड़ी छटी के रूप में लेने का प्रतिदिन का रिवाज है।

छटी बीड़ी के बाद मजदूर को कटी बीड़ी के १-२ बन्डल जहां जैसा हुआ टॅक्स कटी के नाम से अलग लगता है। जरदा पत्ती का हिसाब तोलकर लिया दिया जाता है। फ़िर भी कहीं २ छत्तीसगढ़ में कटी नहीं कटती।

हर एक सप्ताह में पहले हर जगह पर अब अधिकांश जगहों में ठेकेदार आधा आना, एक आना, धर्मादा के रूप में फी मजदूर से लेता है। दुकानदार १ लाख बीड़ी पर ६ आने काटता है। यह पैसा क्यों कटता है और इसका हिसाब कहां है?

अन्त में श्रमिक २ घन्टे पत्ती काटता, ८-१० घन्टे बीड़ी बनाता, १ घन्टा बीड़ी सुधारता, बीड़ी छटवाता, छांट बांधता, इस तरह बीड़ी श्रमिक की, मजदूर १२-१४ घन्टे कार्य करने के बाद उसे छटी, कटी, पत्ती, जरदा, धागा, धर्मादा का पैसा अपनी मजदूरी में से देकर उसके हाथ १२ आने, १ रु. शहर में और देहातों में और भी कम मिलता है। भारतीय नियम ८ घन्टे कार्य का है, इतने समय का यदि हिसाब लगाया जाय तो अनुमान कीजिये कि क्या मजदूरी हुई १ गरीबी, मजदूरी और पेट उनसे १२ घन्टे १४ घन्टे कार्य कराता है फिर भी पूरा नहीं पड़ता और दूसरी ओर १ मजदूर के आठ-आठ साल के बच्चे, औरतें सब मिलकर बीड़ी बनाते हैं। तब कहीं उनका गुजारा कठिनता से हो पाता है। न वह शिक्षित हो पाते हैं और न उन्हें दवा मिलती है, न कानून। उनके लिए कानून है, पर न उनका कानून दुकानदार करते हैं। न दुकानदारों से करवाया जाता है। उन आठ साल के बच्चों के मां बापों को उनसे बीड़ी बनवाकर जीवित रखना अधिक मान्य है न कि अनिवार्य रूप से शिक्षित कराने का। ६६ प्रतिशत मजदूर ठेकेदारों के कर्ज (पेशगी) से लदा है। पेशगी लेने वालों को अधिकांश १ रेट कम मिलता है। बीड़ी मजदूर लगातार बैठे २ १२-१४ घन्टे काम करते हैं न मनोरंजन और न पोषण ही ठीक से हो पाता है इससे टी. बी. स्वांस रोग, पेट की बीमारियां आदि रोग हो जाते हैं। इनकी स्त्रियां भी अधिक बीमार रहती हैं। सागर सरीखी जगह जो भारत में अच्छी आवहवा के लिये मशहूर है, ये दूसरी जगहों से अधिक गरीब रोगी हैं। वे अपना उपचार नहीं करा पाते और रोगी बने रहते हैं।

इस मजदूर को कभी भी छुट्टी, बोनस, महंगाई का प्रश्न उठता ही नहीं। दुकानदार अपनी दुकान से बीड़ी बनवाते नहीं, परबाहरा इन्हें ठेकेदारों के जिम्मे किये हैं। ठेकेदार कहते हैं, दुकानदार जाने। छत्तीसगढ़ में बीड़ी कारखाने ही में बनती है। मजदूर सन्देश इन्दौर में पढ़ा था कि सनावद (मध्यभारत) में जरदारखां एवम् जयहिन्द बीड़ी फैक्टरी में १ रु. १३ आने बीड़ी का रेट मजदूरों का तय हुआ और इन्हें मालिक ने २,५०० रु. बोनस दिया।

परिभाषाएं।–जिनका असर श्रमिक की मजदूरी पर पड़ता है।

प्रथाएँ:

छटी– मजदूर, जो बीड़ी बनाता है, उसकी खराब बीड़ी छांटी जाती है, उसे "छटी" कहते हैं। ठीक है। खराब बीड़ी जैसे कटी, छेददार आदि जिन बीड़ियों से बीड़ी का स्वाद खराब हो, वह जरूर छटना चाहिये नहीं तो बीड़ी का स्टॅन्डर्ड खराब हो जाय। पर उसके साथ-साथ मजदूर को जैसा बीड़ी बनाने को माल दें वेसा वापिस भी लेना चाहिए जैसे पत्ती दी खाकी अथवा काले रंग की और कहे कि हरे रंग की बीड़ी बनाकर लाओ। यह मजदूर कैसे कर सकता है? यह व्यवहार नहीं होना चाहिये। नहीं तो उस बेचारे की पत्ती जो कम होती है वह तो गांठ से खरीद कर लगाना ही पड़ती है

उसके साथ-साथ उसकी बीड़ीं बनाई की मेहनत भी व्यर्थ जाती है। क्योंकि उस रंग की बनी हुई बनाई बीड़ियां छंट जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब बीड़ी की मांग हुई तो वही बीड़ी अच्छी, और कम मांग हुई तो खराब कह कर निकाल दी जाती है। बीड़ी का कोई स्टॅन्डर्ड कायम होना चाहिये जिससे मजदूरों की इन्डायरेक्ट वे से मजदूरी न काटी जा सके। और बीड़ी खास देखरेख में बनना चाहिये, जिससे प्रान्तीय बीड़ी का स्टॅन्डर्ड रहे। यदि बीड़ी छंटने लायक न हुई तो भी मजदूर से २५-५० बीड़ी छटी के रूप में काट लेते हैं।

एक प्रश्न और है कि बीड़ी मालिक 'छांट' की बीड़ी बेचकर 'छांट' की बीड़ी पर असली बीड़ी के समान ही लाभ प्राप्त करता है। पर मजदूर को उसके हिस्से की मजदूरी 'छांट' बीड़ी की या श्रम बिलकुल नहीं मिलता। १-२ घन्टों की उसकी जितनी बीड़ी छटी उस पर कोई मजदूरी नहीं। 'छंटी' बीड़ी पर भी मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिये। असली बीड़ी से ½ मजदूरी अवश्य मिलना चाहिये।

कटी.—हर मजदूर जब वह बीड़ी बनाकर दुकान ले जाता है, तो पहले उसकी बीड़ी छटती है अथवा छांट के नाम से २५-५० बीड़ी मुफ्त में ले लेते हैं। फिर इन छंटी बीड़ी के बाद कटी बीड़ी का नम्बर आता है याने २५-५०, १ या २ बन्डल जहां जैसा रिवाज हुआ, काट लिया जाता है। मान लीजिये कि मजदूर ७०० बीड़ी बनाकर दूकान ले गया। छंटने के बाद उसकी ६०० बीड़ियां बची तो अब कटी याने अच्छी बीड़ियों में से २५-५० बीड़ी कम करके (कटी के नाम से) ५५० या ५७५ उसकी मजदूरी की बीड़ी लिखी जायगी। इसी बीड़ी का उसे पारिश्रमिक मिलेगा यह उस पर बीड़ी बनाने का टॅक्स है अथवा क्या है? जो हर रोज उसे देना पड़ता है जबकि वह पत्ती जरदा तोल कर लेता है देता है। "इन्डायरेक्ट वे" से यह उसकी मजदूरी पर असर डालता है उसे कटी कहते हैं। लाखों मजदूरों की इकट्ठी कटी कितनी हुई।

धागा.—दुनिया की किसी भी मजदूरी में ऐसा नहीं होता कि मजदूर अपनी गांठ से सामान लगाये। मजदूर मालिक की बीड़ी बनाता है और धागा उसे गांठ का लगाना पड़ता है। कई व्यापारी ठेकेदारों को धागा मुफ्त देने लगे हैं, कई एक नहीं देते। दुकानदार सवाई कीमत में १ रु. गोना ठेकेदार से और ठेकेदार उससे सवाई कीमत याने १। रु. गोना याने २ आने लतिया मजदूर से वसूल करते हैं। जो पैसा मजदूर का धागा खरीदने में लगता है, वह उसकी मजदूरी से ही तो कम होता है और वहीं से खरीद कर उसी दुकान को ही तो मुनाफा देता है। कृपया इस सबसे कम खर्च होने वाली चीज का हिसाब लगाकर देखा जाय कि मजदूर एवम् मालिकों को कितनी बचत "इन्डायरेक्ट वे" से होती है। और मजदूर का क्या जाता है। मैंने तो हिसाब लगाया कि जिस कारखाने में १ करोड़ बीड़ी बनती हैं, उस कारखाने के मजदूरों को सिर्फ धागा सरीखी चीज में ६० हजार रुपया देना पड़ता है। काश, यही उनकी भलाई में लगती। (छत्तीसगढ़ में धागा की कीमत नहीं लगती)।

पत्ती.—इसके वितरण की भी पूरे प्रान्त में भिन्नता है। छत्तीसगढ़ में १। सेर फी हजार, सागर, दमोह, जबलपुर में १ सेर बड़ी बीड़ी १४ छटाक छोटी-छोटी बीड़ी की, १४ छटाक कहीं १ सेर कहीं १८ छटाक। विन्ध्यप्रदेश में मालिक सट्टेदार को १।। सेर और सट्टेदार कारीगर को १⅜ सेर पत्ती देता है। यहीं बीड़ी भी बनती है। मजदूरों को छत्तीसगढ़ छोड़कर १,००० बीड़ी बनाने पर जितनी पत्ती दी जाती है, पूरी नहीं होती। उसे खरीद कर १००-२०० बीड़ी की पत्ती अपनी गांठ से लगाना पड़ती है। बीड़ी दूकान की बनाता है, और पत्ती अपनी गांठ की ६ आने, ८ आने सेर खरीद कर लगाता है।

पत्ती खराब किस्म की दी जाने पर उससे बीड़ी अच्छी किस्म की ही ली जाती है। दुकानदार की दी हुई पत्ती से बीड़ी बनाने पर पत्ती की खराबी के कारण बीड़ी छंट जाती है जिससे मजदूर की पत्ती के साथ-साथ उसकी छटी बीड़ी की मजदूरी का भी नुकसान हो जाता है। कहने को बीड़ी मजदूर का रेट निश्चित है, पर इन भिन्न-भिन्न तरीकों से उसकी मजदूरी कट जाती है। कृपया इसका भी कि लाखों मजदूर पत्ती का क्या मुनाफा देता है और उसकी गांठ से क्या जाता है।

धर्मादा.—याने धर्म की अदाई। किसी से धर्म के नाम से पैसा काट कर अपनी जेबों में रख लेने को "धर्मादा" कहते हैं। और वह भी भूखे मजदूरों से। मजदूर बीसों सालों से ठेकेदारों अथवा दुकानदारों को धर्मादा देते आये हैं। इन लोगों ने इस पैसे का क्या किया, दूसरे के पैसों से कौनसा धर्म किया, यदि धर्मादा काटना ही है तो जितना मजदूर दें, उस सट्टे के जोड़ का ठेकेदार और मजदूर ठेकेदार के धर्मादा सब मिलाकर उससे दूना दुकान मालिक मिलावें। वह एक फन्ड कायम हो जो मजदूरों की भलाई में काम आवे। और इसको इकट्ठा करने की जवाबदारी मालिक पर हो। खाता, सरकार और मजदूर के जरिये यह पैसा खर्च हो। मुझे आशा है कि इस नियम से कोई इन्कार नहीं करेगा। कारण बीसों साल से मजदूरों से यह पैसा लिया जाता रहा है। अब उसके साथ-साथ इन लोगों को भी देने में कोई ऐतराज नहीं होगा।

ऐसी मजदूरी जो मजदूर को प्राप्त होती है.	
प्रति सप्ताह मजदूर की मजदूरी से लिया गया पैसा	रु. आ. पा.
छंटी की ५०० बीड़ी प्रति सप्ताह की मेहनत	०-१०-६
कटी की २०० बीड़ी प्रति सप्ताह की मेहनत	०-५-०
पत्ती १,६०० बीड़ी की कमी १।। सेर	०-१२-०
धागा	०-०-६
धर्मादा	०-०-६
कुल पैसा जो मजदूरी से हर हफ्ते कटा	१-१२-६

७,००० बीड़ी बनाने वाले को एक सप्ताह की मजदूरी जिसे १ रु. ५ आने प्रतिदिन मिले	६- ३-०
कुल पैसा जो मजदूरी से कटा एक सप्ताह में	१-१२-६
मजदूरी जो मजदूर को ७,००० बीड़ी पर मिली	७- ६-६

१ रु. ५ आने वाले मजदूर की १,००० बीड़ी की मजदूरी	१- १-०
१२ घन्टे प्रतिदिन बीड़ी १,००० बनाने वाले को	१- १-०
८ घन्टे प्रतिदिन बीड़ी का काम करने वाले को शहर में	०-१२-०

देहातों में हमेशा २ आना ४ आना हजार कम मजदूरी मिलती है। हर एक मजदूर १,००० बीड़ी प्रतिदिन नहीं बना सकता। १ रु. १ आना हजार रेट बीड़ी पर पड़ेगा, पर जब मजदूर १,००० बीड़ी जितनी कि उसकी कार्य करने की क्षमता है, बीड़ी बनाकर ले जायगा जो छटी, कटी, पत्ती, धर्मादा,

धागा के नुकसान के बाद एवरेज मजदूर के हाथ पर क्या लगेगा सिर्फ १२ आने या १३ आने ही। इसमें तो सन्देह हो ही नहीं सकता और इन बातों का हिसाब सही एवम् गम्भीरतापूर्वक सोच कर करना चाहिये। वास्तव में पहले यह जरूर मालूम करलें और यथार्थता का निश्चय करें कि उन्हें अभी मिलता क्या है, मरीज काम है, नागा सुस्ती भी हफ्ते में हो ही जाता है।

हफ्ता ६ दिन का माना जाता है। प्रायः मजदूर के २-४ दिन के पैसे रोककर हफ्ता बांटा जाता है। विन्ध्यप्रदेश में आम तौर १।। हफ्ते में हफ्ता बंटता है और कभी २-३ हफ्ते मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती। मजदूर को १। रु. मजदूरी दी जाती है और नागोद और आसपास में १ रु. २ आना प्रति हजार रेट मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाय कि उन्हें कैसे गुजारा करना पड़ता है।

२. पॅकिंग (रिलाई मजदूर):

इस किस्म के मजदूर मालिकों की दुकानों या ब्रान्चों पर ठेके के द्वारा बीड़ी का पॅकिंग करते हैं। इनके ठेके की दर अनिश्चित है। न इन्हें एक सा रेट मिलता है, न आठ घन्टे कार्य। इन्हें १ लाख बीड़ी पॅकिंग घर पर ३ रु. ६ आने, ३ रु. ८ आने लाख के हिसाब से मजदूरी मिलती है वैसे यदि इन्हें बराबर आठ घन्टे कार्य मिले तो बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो १ लाख या ७,५०० हजार बीड़ी पॅक कर सकते हैं। पर साल भर में शायद ही दो तीन माह पूरा काम मिलता हो। बाकी दिनों में कभी आधा, कभी चौथाई, कभी बिलकुल नहीं, इनमें से अधिकांश मजदूर २०-२० साल पुराने हैं। पर दुकानदार जब चाहें तब नौकरी से हटा देते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं, जब मजदूरों ने कोई यूनियन बनाई अथवा हकों की मांग की तो मालिक उन्हें काम से निकाल देते हैं। चूंकि ये सालों से दुकान के छप्पर के नीचे बैठकर काम करते हैं। इन्हें बोनस, मंहगाई आदि कुछ नहीं मिलता। छुट्टियों से इनकी मजदूरी मारी जाती है। इन्हें छुट्टी मय तनख्वाह के नहीं मिलती। कहीं-कहीं माहवारी से भी नौकर हैं उन्हें भी बोनस महंगाई, प्रॉवीडेन्ट फन्ड आदि कुछ नहीं मिलता। यदि इन्हें पूरा कार्य न मिले अथवा जिस दिन काम न हो उस दिन उन्हें कुछ भोजन के लिये तो मिलना ही चाहिये।

३. बीड़ी चेकर (मॅनेजर)

इस मजदूर का कार्य ठेकेदार के यहां बीड़ी छांटना, दुकान पर ठेके से आई हुई बीड़ी छांटना तथा दुकान के अन्य दीगर हर कार्य करना पड़ते हैं। ये लोग माहवारी नौकरी से नौकर हैं। इन्हें न बोनस मिलता है न नौकरी की ग्यारन्टी व प्रावीडेन्ट फन्ड।

सिर्फ मोहनलाल हरगोविन्द लाल, जबलपुर वालों की एक ऐसी दुकान है जहां पर हर एक छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक को महंगाई एवम् २५ प्रतिशत बोनस दिया जाता है।

४. दीगर फुटकर मजदूर व नौकर:

हर एक दुकान में कुछ आदमी बीड़ी सेकने को रहते हैं। इन मजदूरों को आग के सामने खड़े होकर सिकते हुए जरदे (तम्बाकू) की भाप बरदाश्त करना पड़ती है। इस कार्य को निरन्तर करने से इसके जरिये कोई न कोई बीमारी हो ही जाती है यह कार्य कठिन भी है, इसकी मजदूरी १।। रु. २ रु. प्रति दिन अथवा ४५ रु. ५० रु. प्रतिमाह है। इन मजदूरों को दुकान से भी दूध की खुराक एवम् बोनस महगाई भी मिलना चाहिये, एवम् प्रावीडेन्ट फन्ड भी।

५. तम्बाखू मिलानेवाले मजदूर:

जिन्हें मुंह बांध कर सैकड़ों मन तम्बाकू को मिलाना और छानना पड़ता है। इनके मुंह में जरदा की धूल भी जाती है। बीड़ी वालों के अलावा ये लोग बीड़ी की तम्बाखू बेचने वालों के यहां भी काम करते हैं। उन्हें १।। रु. रोज मिलता है।

भाग ३

१-एक प्रश्न १

वैसा हमेशा और इस जांच समिति के सामने हम लोगों से एक वेड़ा विचित्र मालिकों की ओर से उठाया गया और भविष्य में उठाना अथवा अवश्य उठवाया जायगा, "कि यदि बीड़ी मजदूर की मजदूरी बढ़ाई गयी तो खेती को मजदूर न मिलेंगे।"

उचित है। स्वतन्त्र भारत में सबको देश हित एवम् मानव हित की चिन्ता रहना ही चाहिये। पिछली मध्यप्रदेश सरकार ने एक बिल पास किया था। उसमें कानून पास हुआ कि (फसल) खेती के कटने और बोने के समय देहातों में एक एक माह को बीड़ी बनाना वन्द रहे। इसके खिलाफ दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि यह मनुष्य का "फन्डामेन्टल राइट" है। वह कुछ भी करे, इसे सरकार नहीं रोक सकती। प्रान्तीय सरकार हार गयी और खेती के फायदे के लिये बिल पास न हो सका। दुकानदार केस जीते, बिल फेल हो गया, उस समय न खेती का प्रश्न रखा और न चिन्ता हुई। खेती के शुभ चिन्तक तब माने जाते जब उसी समय इस बिल को मान लेते। मेरा मतलव यह कि दूसरी ओर मजदूरों को भी भारतीय संविधान के अनुसार हक है कि वह रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व दवा प्राप्त करे। हर एक ईमानदार देश सेवक एवम् नागरिक एक दूसरे का शोषण न करे भ्रातृत्व की भावना रखे, खुद जिये और दूसरे को भी जीने दे। "फन्डामेन्टल राइट" के अनुसार बहुजन हिताय नहीं बल्कि सर्व जन हिताय मजदूरों और किसानों का भला तभी होगा जब उन्हें शोषण से बचाकर भर पेट खाना मिले उनके मासूम बच्चे उनकी ही कमाई से पल सकें, एवम् वालपन में उन्हें योग्य नागरिक बनने की सब सुविधायें प्राप्त हो। न कि बचपन में ७-८ साल से बीड़ी बनाने वाले तम्बाखू का कार्य करके बीमार प्रौढ़ देश के भार हों। और दूसरी ओर, अवर्णनीय ऐश आराम, यह "फन्डामेन्टल राइट" नहीं है।

२. आखिर इन १५ वर्षों में देहात २ बीड़ी बनाना सिखाया किसने? मालिकों और ठेकेदारों में रुपया पेशगी (एड्वान्स) बांटा गांव-गांव लालच देकर बीड़ी बनाने का प्रचार किया। बीड़ी बनवाई। और ३-४ जिले तो ऐसे हैं, जहां शायद ही कोई ऐसा देहात हो जहां बीड़ी न बनती हो। उतने सारे मनुष्यों को छाया में बैठकर बीड़ी बनाने की आदत हो गयी है। वे तो खेती का कार्य बिलकुल भूल गये और न अब उनसे वह मेहनत ही हो सकती है। तो फिर अब उन्हें इस कार्य की आदत डाल कर खेती के बहाने उन्हें मजदूरी न मिले यह तो उचित नहीं। वे अब खेती तो करेंगे नहीं। पर इस बहाने उन्हें मजदूर न देना पड़े और हम उचित मुनाफा उठावें।

३. देहातों में मालगुजारों, जमींदारों, साहूकारों ने भी हर एक गांव में जहां जिसका चलता था, बीड़ी के ठेके खोले। बहुत ही कम ऐसे काश्तकार होंगे जो इस ठेकेदारी के रोजगार को न किये हों। ये लोग हजारों रुपया माहवारी का मुनाफा शहरों से अधिक गावों में कमा रहे हैं। उन्हीं बड़े-बड़े किसानों आदि ने देहातों की ओर खुदके लाभ को देहातों की ओर बढ़ाया। और अब जब उनकी मजदूरी देने का प्रश्न आता है तो ये बड़े-बड़े किसान ऐसी बात करने लगते हैं। दुकानदार तो खुद, एवम् दलालों कुछ कर खरीद पत्रों, तथा पैसे के जरिये ऐसे राग और गलत प्रचार करवा देते हैं जिससे

गलत फहमी हो जावे। देहातों के बड़े-बड़े गांवों में दुकानदारों की लाखों रुपयों की इसी काम के लिये खुद की दुकानें, इमारतें हैं जहां आसपास की बीड़ी आने में सुविधा रहे।

फिर भी यदि देश हित और खेती की समस्या जिस पर देश का जीवन निर्भर है, तो क्यों न यहीं दुकानदार उसी पूंजी को देहातों की दूसरी समस्या पर लगावें। वे स्वयम् इतना काम करावें कि देहात में मजदूर मिल सके। अथवा बीड़ी बनाने का कार्य जो कि मादक पदार्थ है, शराब, अफीम, गांजे की श्रेणी से कम की बन्द कर दे। यह रोजगार देश का कुछ स्वास्थ्य हित एवं मानव हित तो नहीं करता। पर मजदूर जो लाखों की तादाद में है उसे कहां किया जायगा। वह कैसे कि खुद तो मुनाफा उठावे बड़े-बड़े किसान जो खेती की दुहाई दें वे भी मुनाफा उठावें इसी धन्धे का प्रचार करें, मजदूरों की बीड़ी बनाने का आदि कर दें और जब उनकी रोजी रोटी का प्रश्न आवे तो खेती-खेती चिल्लाये। खुद बड़े-बड़े किसान जो इस धन्धे को किये हैं छोड़ दें तो फिर एक तरह से यह बात मान्य भी हो सकती है। देहातें तो इन सबके अधिक मुनाफा के जरिये है जहां हर तरह के अन्धेरें होते हैं।

४. बड़े-बड़े किसान गिनती में कम हैं और बाकी ६५ प्रतिशत देहाती छोटे किसान हैं, जो खुद खेती का कार्य करते हैं। छोटे किसानों एवं सगाई बटिया से जमीन, जमीन जोतने वाले किसानों को यह धंधा "साइड बिजनेस" हो गया है। पहले जो ये बेकार रहते थे खेती के काम के बाद भी अब इस काम को करते हैं और इससे इनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो जाता है। बड़े-बड़े किसान तो पहले से ही इन मजदूरों को गुलाम बनाकर रख कर तेवारा दिखाना चाहता है उसे खेती की भी मजदूरी उचित नहीं देना चाहता और इस बीड़ी बनाने वाले मजदूर को भी। पर काम दोनों प्रकार के मजदूरों को भूखों मारकर लेना चाहता है। ये बड़े दुकानदार और जमीदार यह भूल जाते हैं कि स्वराज्य सब को मिला है न कि सिर्फ उन्हें ही अपने खुद के लाभ को, ऐसा प्रश्न उठाते अथवा उठवाते हैं। कोई भी व्यापार किसी को मजबूर करके अधपेट रखकर पूरा मुनाफा खुद उठाकर नहीं किया जा सकता। सबको हक ठीक मिलना ही चाहिये। एक प्रश्न और?

वह यह कि कुछ उद्योगपति ऐसा कहते भी सुने गये कि यदि रेट बढ़े तो वह और कहीं अन्य प्रान्तों में कारखाने ले जावेंगे।

यह भी ठीक है। क्या भारत के बाहर कहीं कारखाना ले जावेंगे? अथवा क्या इसी भारत में दूसरे प्रान्तों में भारतीय सरकार एवं उसके कानून नहीं है जहांकि मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जायगा। क्या यह सरकार के कानून को चुनौती नहीं है जो वह हर व्यक्ति की सुविधा को बनाती है। और ये सिर्फ अपना हित देखते हैं। फिर सरकार तुम्हें वहां से जहां से तुमने करोड़ों रुपया पैदा किया ऐसे सब माल लेके भागने क्यों देगी जब दूसरों का हिस्सा देने की बारी आई। यह हो सकता है कि जैसी हालत शुरू में थी वैसी हालत में यदि कोई जाय तो जाने दिया जाय। पर एक तो प्रश्न ही गलत है। फिर ये लोग इतना लम्बा चौड़ा ठाठ कबाड़ा लेकर कहीं जा भी नहीं सकते। इतने प्राकृतिक साधन नहीं मिलेंगे। ये तो सब कोरी धमकियां मात्र ही हैं जिनकी हमें आशा है कि इनसे डरेगी नहीं इतने पर भी यदि इनमें इतनी हिम्मत हो जावे कि वे चले जायेंगे तो इन्हें चले जाने दिया जाय और यदि रहें तो सबको जीने दें और स्वयं जियें।

भाग ४

उप-संहार और जीवनस्तर

अन्त में यह स्पष्ट है कि बीड़ी मालिकों को हजारों रुपया प्रतिदिन हजारों मजदूरों से मुनाफा मिलता है। मजदूरों के रेट देखने से भी यह स्पष्ट है कि उन्हें मजदूरी १ रु. १४ आने तक इसी बीड़ी बनाने की मिलती है। सागर, मई सन् १९५७ से नवम्बर सन् १९५७ तक ठेकेदारों के यहां मजदूरों को १॥ रु., १ रु. ९ आने प्रति हजार, २ रु. २ आने मय पत्ती लल्लू भाई सागर ठेकेदारों का रेट, १॥। रु. मोहनलाल हरगोविन्द सेठ, ठेकेदारों का बिना पत्ती रेट सागर, १॥। रु. सेठ गोंदिया वाले बृजलाल मणीलाल १ रु. ९ आ. भगवानदास शोभालाल छोटी बीड़ी १ रु. ११ आना बड़ी बीड़ी।

साथ साथ जहां जहां दुकानदारों की खुद की ब्रान्चें थीं वहां मजदूरों को १॥। रु., १ रु. १३ आने तक प्रति हजार बीड़ी बनवाई, नवम्बर सन् १९५७ तक दी गयी। परन्तु जब कमेटी का आगमन सुना तो उसके आने से २ सप्ताह पहले रेट घटा दिया यान यदि रेट बढ़े तो जो ये लोग दे रहे थे उतना ही देना पड़े। मजदूरी पर कमेटी की जांच का कोई असर न पड़ सके। इसी प्रान्त के सनावद (मध्यभारत) जरदार खां महबूब खां के यहां सुना है जो छोटा कारखाना है उसको थोक माल खरीदने की लागत भी नहीं फिर भी बीड़ी की मजदूरी १ रु. १३ आने है और साल का बोनस भी मजदूरों में बांटा गया। तब गुजरात से सीधी तम्बाखू, थोक कागज, खुद के नीलाम के जंगलों की पत्ती, धागा लगानेवालों को क्या रेट देना चाहिये?

इसी प्रान्त के सागर, दमोह, जबलपुर के देहात-देहात में बीड़ी बनती है और लाखों मनुष्य इसी मजदूरी से पेट पालते हैं। यहीं पर भारतवर्ष के सबसे बड़े बीड़ी के कारखाने हैं। यहां और छत्तीसगढ़ की पत्ती, कटी, छंटी, धर्मादा में भिन्नता है जबकि वही बीड़ी, वही पत्ती रेट, वही मुनाफा, बल्कि सागर, दमोह, जबलपुर में छोटी बीड़ी बनती है जिनमें जरदा, पत्ती कम लगती है, मुनाफा भी थोक बड़े कारखानों के कारण अधिक है, फिर भी इन सब चीजों की कटौती होती है।

छत्तीसगढ़ में १,००० बीड़ी पर १। सेर पत्ती छांट कर मिलती है। कटी नहीं कटती। धर्मादा नहीं देना पड़ता। दुकानदार अपने पास का धागा मजदूर को देता है। ये सब बातें सागर, दमोह, जबलपुर एवं विन्ध्यप्रदेश में भिन्न है।

सागर, दमोह, जबलपुर एवं विन्ध्यप्रदेश भर में सिर्फ एक ही ऐसी जो अपने माहवारी से लगे हुये हर एक कर्मचारी को महंगाई एवं २५ प्रतिशत बोनस देती है। दूसरे उद्योगपति जैसे कपड़े की मिल, खदानें अथवा जिन उद्योगों में देश की भलाई की चीजें बनती हैं उन उद्योगपतियों को अपने श्रमिकों को दीगर सब कानूनी सहुलियतें देनी पड़ती हैं। जो जीवन को अनिवार्य है। तो फिर क्या वजह है कि बीड़ी सरीखी चीज को व्यापार करनेवाले वे सहुलियतें न दें और दूसरों से जो देशहित का कार्य कर रहे हैं अधिक मुनाफा उठावें, मनुष्य के जीवन की कीमत तो हर जगह आंकी जायगी।

मजदूर के रहन-सहन, कौटुम्बिक हालत के विषय में जो १ रु. १२ आने प्रतिदिन १२ से १४ घन्टे कार्य करने के बाद प्राप्त करता है, कुटुम्ब भी होता। बीमारी, शादी विवाह, बाल बच्चे, कपड़े सब साथ लगे हैं, क्या अनुमान लगाया जाय। सिर्फ आश्चर्य ही किया जा सकता है कि कैसे क्या होता

होगा और दूसरी ओर वही मनुष्य (मालिक) उनका रहन-सहन भी देखकर आश्चर्य ही होता है कि क्या ऐसे गरीब देश में सचमुच ऐसा भी हो सकता है ?

साधारण तरीके से दूसरे मजदूरों को भी जो ईंट गारे का कार्य करते हैं, खन्ती खौदते हैं अथवा दूसरी कोई भी मजदूरी करते हैं उन्हें आठ घन्टे की मजदूरी १।। रु. प्रतिदिन मिलती है। उन्हें सिर्फ शरीर से कार्य करना पड़ता है न उन्हें गांठ से कुछ लगाना पड़ता है और न उनकी मजदूरी में से कुछ कटता है। बीड़ी की दुकानों में भी दीगर मजदूर जो कार्य करते हैं, उन्हें भी आठ घन्टे कार्य के बाद ४५ से ६० रु. तक तनख्वाह मिलती है, साल में कुछ इनाम वगैरह भी मिल जाती है।

पर ऊपर के मुकाबले बीड़ी बनानेवाले मजदूर को १२ से १४ घन्टे प्रतिदिन काम करने के बाद १,००० बीड़ी की एवरेज आती है। बहुत से मजदूर इतनी बीड़ी बनाने की भी क्षमता नहीं रखते। इतना कार्य करने के बाद भी उनकी मजदूरी में से छटी, कटी, पत्ती, धर्मादा, धागा से अलग पैसा एवं श्रम देना पड़ता है और उन्हें ठेकेदारों अथवा मालिकों को "इन्डायरेक्ट" तरीके से अलग से मुनाफा देना पड़ता है फिर उसके हाथ क्या लगता है जो १,००० बीड़ी बनावे तथा कम एवरेजवाला अपनी गुजर कैसे करता होगा। बीड़ी का मजदूर लाखों की तादाद में प्रान्त में है। वह बीड़ी की मजदूरी करता है, पेट के लिये। वह संग्रह एवं यश के लिये इस तम्बाखू जैसी मादक वस्तु की मजदूरी नहीं करता। उसे तो मजदूरी चाहिये चाहे बीड़ी बनाने की हो या अन्य किस्म की और पेट भरने को पर्याप्त भोजन, वह तो मिलना ही चाहिये। यदि वह बीड़ी बनाने की मजदूरी करता है तो उसका क्या अपराध है ? इस कारण उसे लाखों की गिनती में कमाई को बेचनेवाले ढोर के समान तो नहीं छोड़ा जा सकता। बीड़ी मजदूर भी मनुष्य है उसे भी जीवन की मुख्य मुख्य आवश्यकताएं हैं। १ रु. १२ आने प्रतिदिन कुटुम्ब चलाने को मिलता है। ठेकेदार को ४ आने प्रति हजार से कम नहीं जब कि वह हजारों लाखों की तादाद में बीड़ी बनवाकर सैकड़ों मजदूरों से मुनाफा प्राप्त करता है। और इसके बाद बीड़ी बनवानेवाला दुकानदार सैकड़ों सट्टेदारों तथा हजारों मजदूरों से प्रति हजार १। रु., २ रु., २।। रु. अथवा कम बढ़ मुनाफा उठाता है। यदि दुकानदार स्वेच्छा से भी उन्हें मनुष्य समझ कर अधिक मजदूरी दे तो भी यह निश्चित है कि उनकी हजारों, लाखों रुपया प्रतिमाह की आमदनी में कोई फरक नहीं पड़ेगा। और न उससे उनके किसी ऐश आराम ही में कमी आवेगी। (अभी भी १०।१५ सालों में इतने मजदूरों के जरिये इतनी कमाई हो चुकी है कि कुछ भी न करें तो पीढियों यही ऐश चल सकते हैं) पर यह अवश्य है कि मजदूर को कुछ अधिक रूप में अवश्य शांति मिल जायगी।

एक सेठजी से पूछा गया कि क्या ख्याल है ? आपके विचार से मजदूरी क्या दी जावे ? तो उन्होंने कहा कि साहब मजदूरी कुछ घटा दी जावे (खूब) याने आपके यहां मजदूरों को रस्सियों से कसकर बंधवा देना चाहिये जिससे कि वे बहुत शीघ्र गर सकें। और फिर उनका चमड़ा खींचकर यदि वह सेटजी के किसी ऐश या आराम के काम आ सके तो काम में दिया जाना चाहिये। एक समय ३० साल पहले यही सेठजी स्वयं एक मामूली मजदूर थे।

एक साहब कहने लगे, कुछ बचता नहीं। एक दिन आज से २५ वर्ष पहले यही साहब क्या थे, सब को मालूम है। घर में जितने आदमी है सबको हर साल निजी नये मॉडेल की गाड़ियां आती हैं जिसे घर एवं हिन्दुस्तान भर में महल है। सन् ५३ से ५७ तक १ शेयर का १ करोड़ रुपया चुकाया, इतना धंधा बढ़ाया, फिर भी कहते हैं बचता नहीं।

एक महाशय नवजवान व्यापारी के साथ-साथ देश सेवक भी हैं। कहने लगे मजदूर अब और क्या चाहता है? प्रश्न खुद उनसे ही किया जा सकता है कि वे क्या चाहते हैं? आपका "स्टॅन्डर्ड" (रहन-सहन) मोटर का रंग और शरीर के कपड़ों के रंग से मेच किया जाता है, घर भर का अपना-अपना यह हाल है। सचमुच सेटजी "स्टॅन्डर्ड" की बहुत जरूरत है शायद इसका वर्णन १०/५ पन्नों में न बन सके और वर्णन करने में असमर्थता भी है। बीड़ी मालिकों के मकान (महल) जहां-जहां उनका काम है, उन जिलों की देहातों में तो है ही, हिन्दुस्तान के हर बड़े नगरों में भी है। भोपाल राजधानी में भी मकान बन रहे हैं अथवा खरीद किये जा रहे हैं। शायद ही कोई हतभागा सेठ होगा जिसके कुटुम्ब के हर व्यक्ति अथवा २ व्यक्तियों पीछे एक बढ़िया मोटर न हो। इनका "स्टॅन्डर्ड" ऐसा है, जो न कहना चाहिये और न कहे जा सकते हैं। यह है यहां के मालिक और मजदूर के रहन-सहन का फर्क।

इसके साथ-साथ दौरे के समय यह भी देखने में आया कि हमारे उद्योगपति बन्धुओं ने ठीक से कोई सहयोग इस कार्य में नहीं दिया और न उन्होंने यह सोचा कि अब हमारी सरकार यह योजना सर्व कल्याण को बना रही है तो हम लोग भी इसमें सहयोग दें। वैसे कहने को सब लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हैं। इसके विपरीत इन भाइयों को कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हुआ और न हम लोगों को ठीक बात बताई जो कि उन्हें बताना चाहिये। इसी कमेटी में देखा गया कि हमारे भाई लालचन्दजी जो सचमुच उदार हैं इसमें विशेष दिलचस्पी लेते रहे, बाकी लोग आये तक नहीं, बल्कि कई जगह चुनौतियां कानून "एवं फन्डामेन्टल राइट" ही बताये गये। इससे अनुरोध है कि जो भी कानून बने वह कानून मनुष्य को बने न कि कानून के लिये मनुष्य।

अन्त

१ बीड़ी का रेट प्रति हजार क्या हो?—

(अ) यह स्पष्ट है कि सनावद में बीड़ी का रेट १ रु. १३ आने प्रति हजार है वहा बोनस भी बीड़ी मजदूरों को मिला है। अहमदाबाद, बम्बई में बीड़ी बनवाई प्रति हजार ३ रु. के करीब है। हमारे यहां और उन स्थानों के मजदूरों की बीड़ी बनाने की क्षमता एकसा है। सागर में मई, १९५७ से नवम्बर, १९५७ तक बीड़ी का रेट १ रु. १३ आने, १ रु. १४ आने, हजार मिला। बीड़ी मजदूर १२ से १४ घन्टे तक कार्य करता है इससे उसे २। रु. हजार बीड़ी बनवाई का रेट मिलना जरूरी है तभी वह दूसरे मजदूरों की समता में आ सकेगा।

अथवा दूकानदार कटी कटाई पत्ती देकर उनसे ८ घन्टा बिठाकर बीड़ी बनवाए और जितना भी उनका कार्य हो उस पर १।। रु. प्रतिदिन दे दें। इसमें उन्हें हर प्रकार के नये पुराने मजदूर रखना चाहिये।

(ब) छंटी बीड़ी का रेट असली बीड़ी के रेट से १/२ आधा मिलना चाहिये।

(क) क्या छंटी करना चाहिये? जरूर पर उसका एक स्टॅन्डर्ड हो और पत्ती जैसी दी जावे उसकी वैसी ही बीड़ी ली जावे। अच्छी बीड़ी बनानेवालों की बीड़ी छंटी के नाम से नहीं कटना चाहिये।

(ख) कटी क्यों कटती है? कटी बिल्कुल नहीं कटना चाहिये।

(ग) पत्ती.—पत्ती भिन्न-भिन्न जगह भिन्न-भिन्न वजन से मिलने का रिवाज है। पत्ते के कारण मजदूरों को अपने पारिश्रमिक में से बहुतसा पैसा देना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पत्ती १। सेर, विन्ध्यप्रदेश में जबकि वहां सागर के भी कारखाने हैं। १ सेर २ छटांक, १। सेर पत्ती मिलती है फिर सागर में ठेकेदार १४ छटाक, १२ छटाक पत्ती क्यों दें? १,००० बीड़ी पर १ सेर २ छटाक, १। सेर पत्ती मिलना चाहिये। दुकानदार यह देख-रेख रखे कि ठेकेदार बीच में ही मजदूरों की पत्ती कम तो नहीं करते। जैसी पत्ती दें वैसा माल लें। जैसाकि छत्तीसगढ़ एवम् विन्ध्यप्रदेश में है। पत्ती पर मजदूरों से मुनाफा न लिया जाय। गोंदिया में पत्ती का कोई पैसा नहीं काटा जाता यहां भी मध्यप्रदेश के दुकानदार हैं।

(घ) बीड़ी बनाने को धागा मुफ्त जितना लगे उतना मिलना चाहिये। ठेकेदार भी मजदूरों से धागे का पैसा न ले सके। १ गोना ५०,००० बीड़ी पर एवं १ लतिया ५,००० बीड़ी को होती है।

(ङ) धर्मादा.—वह पहले बताये क्रम से ही लिया जावे और वैसा ही खर्च हो। अभी जो सिर्फ मजदूरों से काटा जाता है वह उसी प्रकार ठेकेदारों व मालिकों से भी जबरन काटा जाना चाहिये।

२. पैकिंग रिलाई मजदूर :–

यदि इन लोगों को बराबर काम मिले तो ये ३ रु. रोज पैदा कर सकते हैं। इन लोगों को बराबर काम नहीं रहता। इन्हें ८ घन्टे का कार्य मिलना चाहिये। यदि जिस दिन कार्य न हो अथवा कम हो तो इनको इतना पारिश्रमिक नियुक्त हो जाना चाहिये कि उस दिन उनका आधा पेट तो भर सके। जब ये इनके छप्पर के नीचे कार्य करते हैं तो बोनस वगैरह तथा मय मजदूरी के छुट्टी की भी सुविधा होना चाहिये। अभी इतवार तथा त्यौहारों पर छुट्टी मिलती है पर छुट्टी का मतलब ही क्या रहा जब उन्हें बिना मजदूरी रहना पड़ा। इससे तो उन्हें और भी नुकसान हो गया। बीस-बीस साल के कार्य करनेवाले हैं उन्हें एकदम काम से अलग कर दिया जाता है। एकाएक वे इस बुढ़ापे में कहां जायं। इसके लिये इन्हें प्रॉवीडेन्ट फन्ड की व्यवस्था अथवा काम पर से हटाने पर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे वे एकदम लाचारी महसूस न करें।

माहवारी नौकरों को बोनस एवं कुछ पेन्शन की व्यवस्था होना चाहिये। (मोहनलाल हरगोविन्द फर्म, जबलपुर हर नौकर का महंगाई एवं बोनस देती है)।

३. बीड़ी चेकर (मैनेजर) :–

इनकी नौकरी की गेरन्टी हो। महंगाई एवं बोनस मिले। इनका प्रॉविडेन्ट फन्ड का नियम लागू होना चाहिये। मोहनलाल हरगोविन्द फर्म महंगाई बोनस देती है।

४. दीगर नौकर एवं मजदूर :–

जो इनके छप्पर के नीचे काम करते हैं उन्हें महंगाई बोनस प्रॉवीडेन्ट फन्ड का नियम लागू किया जावे एवं नौकरी की हिफाजत।

५. सट्टेदार (ठेकेदार)

यह बिल्कुल सत्य है कि मजदूरों का शोषण ठेकेदार कई तरह से करते हैं और उसका देखने सुननेवाला कोई नहीं है। मालिकों को बहुत सा पैसा ठेकेदारों को बीच में ही देना पड़ता है। यदि वे वही पैसा सीधा मजदूर को दे दें तो बहुतेरों का और अधिक भला हो तथा मजदूर दोहरे शोषण से बच जावें। ठेकेदारी प्रथा के कारण मजदूरों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। और उन्हें कहां कहां देखा जा सकता है। ठेकेदारी प्रथा के कारण बीड़ी का स्टेन्डर्ड भी बिगड़ रहा है। मालिक इस पर कोई देखरेख नहीं रखता उसे सिर्फ अपनी बीड़ी से मतलब है। इससे यह निर्णय करना जरूरी है कि ठेकेदारी प्रथा रहे या नहीं। इससे मालिकों की व्यवस्था में गड़बड़ी तो नहीं आयगी। क्या ये मालिक के कमीशन एजेन्ट कायम किये जा सकते हैं? अथवा इन ठेकेदारों पर मालिक की देखरेख रहे और ये मालिक के प्रति जवाबदार रहे ताकि ये कारीगरों को गलत न सता सकें, तथा कारीगरों के कानून के पूरे जिम्मेवार ठेकेदार और मालिक सम्मिलित रूप से समझे जावें। जो अपराध सट्टेदार करता है वह मालिक के इशारे पर करता है इससे इसका जिम्मेदार मालिक है। मजदूरों के कानूनी हक एवं सुविधाएं जो गवर्नमेंट निश्चित करती है इसके देनदार मालिक और सट्टेदार दोनों होंगे। मालिक ही पूर्ण रूप से इसका जवाबदार रहे कि ये ठेकेदारों पर नियन्त्रण रखे और कानून का पालन करावे।

६. मालिकों ने अपने हित के लिये वंदिश बांधकर ठेकेदारों से इकरारनामे लिखवाये हैं पर उसमें मजदूरों के हितों तथा कानून मानने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिये जिस प्रकार बीड़ी कारखाने के लिये लाइसैन्स लेना पड़ता है उसी प्रकार कारखानेदारों को अपने ठेकों के लिये उन्हीं शर्तों पर लाइसेन्स दिये जावे। कारण ये भी तो अलग-अलग दुकानें हैं। जिनमें मालिकों के लिये ही हजारों मजदूर काम करते हैं और यदि ठेकेदारों और मालिकों का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा मालिक उन मजदूरों के प्रति जो ठेकेदारों के यहां मजदूरी करते हैं उत्तरदायी नहीं है तो सट्टेदार को फैक्टरी एक्ट के मुताबिक स्वतन्त्र लाइसेन्स दिये जावे ताकि सारे नियमों के जिम्मेदार ठेकेदार रहे।

७. बीड़ी का मजदूर इतना बिखरा गरीब और नासमझ है कि न उसे कानून का ज्ञान है और न अपनी भलाई का। इससे मालिक उन पर ज्यादतियां करते तथा उनसे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार रहते हैं। वे तो बेचारे उसी दिन हार जाते हैं जिस दिन उन्हें अपनी जायज मांग करना पड़ती है। यदि कोई केस लड़े भी और २/४ साल में जीत भी जावें तो भी वह मृत्यु के मुख में पहुंच चुकता है। इससे उन्हें चेतना देने के उपाय इनके यूनियनों के नियमों की कुछ विशेष सुविधायें तथा न्याय के सरल और जल्द तरीके लागू किये जावें।

मालिक जो जानबूझकर सरकारी कानून तोड़े तथा इसी जरिये कि वे पैसे के बल से मजदूरों को तंग कर सकते हैं। और उन्हें पेट की मार से मारकर भूखों मरवा सकते हैं। अतः इनके दण्ड की व्यवस्था कभी भी जुर्माना न हो। क्योंकि वह जुर्माना लाखों-करोड़ों तक इनको खेल है। दण्ड का मतलब वह जिससे इनको कम से कम डर तो हो। मजदूरों को, गरीबों को सताने के अपराध में दन्ड स्वरूप सजा न रखकर यदि जुर्माना हो तो वह मखौल ही रहेगी। इतना लेबर डिपार्टमेंट नहीं फैला कि वह हर जगह निरीक्षण कर सके। यदि ठेकेदार मजदूरों से जो नहीं लेना चाहिये जबरन लें तो फिर कौन-कौन कानून लागू हो जबकि दूसरों पर कोई चीज छुड़ाने, चुराने, मजबूरी डालकर

पैदा किये गये अपराधों में आता है। पुलिस को रिपोर्ट सुनने एवं जांच करने का पूर्ण अधिकार हो जिससे सिर्फ कानून दनने को ही न बने बल्कि उनको उनसे न्याय भी मिले और रक्षा भी हो।

८. इन लोगों ने देखा कि बीड़ी मालिकों ने पान लगाने की दुकानें, मामूली सेलमेनी एवं बीड़ी की मजदूरी करते करते ये बीड़ी के व्यापारी हो गये। लड़ाई के जमाने में रखी चीजों की कीमतें बढ़ गयी सैकड़ों से हजारों, लाखों की लागत करोड़ों की जमा १०/२० साल में इकट्ठी हो गयी। और मजदूर जो कमा कमा के देता रहा नंगा का नंगा रहा। मालिकों की १०/१० पीढ़ियां ऐश से गुजर सकेंगी एवं मजदूर को रोज फांका कसी है। इसलिये हर मजदूर का प्रॉविडेन्ट फन्ड कटना चाहिये चाहे दुकानदार से चाहे ठेकेदार से।

९. ऐसा देखा गया है कि बहुत से बीड़ी के उद्योगपति जो बाहर से आकर इस प्रान्त में पैसा पैदा कर रहे हैं पर अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन अन्य प्रांतों में जहां के रहनेवाले हैं, कराये हैं। वे अपनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन बम्बई प्रान्त में कराये हैं। इससे यह आवश्यक है कि ये जहां व्यापार करें वहीं अपनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन करायें। जिससे मध्यप्रदेश गवर्नमेंट का इन पर अंकुश रहे। और जो कानून हमारी गवर्नमेंट बनावे वह इन पर लागू हो सके तथा हमारी प्रांतीय सरकार को इससे मुनाफा हो सके।

१०. बीड़ी उद्योग, गृह-उद्योग होने के कारण ऐसा कुछ नियम बने कि यह उद्योग फॅक्टरी एक्ट के अंतर्गत आवे। जिससे श्रमिकों को फॅक्टरी एक्ट की एवं न्यूनतम वेतन ऍक्ट की सुविधाएँ प्राप्त हो सके। अभी तक सरकार ने जितने भी कानून बनाये हैं उनसे उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती और न न्यूनतम वेतन ऍक्ट ही पूर्ण रूप से इन पर लागू होता है। बीड़ी उद्योग और उसके श्रमिकों के लिये अलग से कानून इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा तभी इन्हें राहत मिल सकेगी। और शोषण के जबरदस्त शिकंजों से मुक्त हो सकेंगे।

११. दुकानदार के पास सट्टेदार के कुल मजदूर दर्ज रहें, ताकि समय-समय पर मालिक जांच करके मजदूरों की कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न कर सके और सट्टेदार के मुनाफे का भी हिसाब लगता रहे। जिससे जो रेट मालिक मजदूरों को देता है वही मिल सके।

हर दुकानदार अपनी ओर से मजदूरों को स्लिप दें जिससे मजदूर की मजदूरी का पूरा ब्यौरा रहे। एवं दुकानदार जो रेट मजदूर को दिलवावे वह तथा दीगर कानूनी बातें अपनी ओर से उस स्लिप में लिखवा दे कि मजदूर को कौन-कौन सी चीजें मुफ्त दी जावेंगी।

गोंदिया में ठेकेदार तो हैं पर वे कमीशन एजन्ट के रूप में हैं और हर मजदूर उनकी ही दुकान पर बीड़ी बनाता है। हर एक मजदूर का हिसाब और वेज-स्लिप दुकान से बनकर आती है जो ठेकेदार मजदूर को बांट देता है। और उनकेही नाम से बीड़ी दुकान पर (मालिक की) जाती है।

१२. चूंकि सट्टेदार भी एक दुकानदार है, बीड़ी को कानूनी नियमावली कि मजदूर कौन कौन सी सुविधायें कानूनन प्राप्त कर सकता है। एवं उसे नये नियम के मुताबिक कौन कौन सी सहूलियतें मिलीं इसकी दुकान पर टंगी रहना चाहिये। जिससे मजदूर उपरोक्त शोषण "इन-डायरेक्ट ऍन्ड इल्लीगल कट" से बच सके।

१३. एक ऐसा नियम बनाया जाय जिससे ठेकेदार, मजदूर एवं नौकर को मालिक जब चाहे तब अपनी मर्जी से खड़े-खड़े न निकाल सके। यही नियम, ठेकेदार को भी लागू हो कि वह अपने मातेहतों को बिना किसी खास कारण अलग न कर सके।

१४. दुकानदारों एवं ठेकेदारों की देखरेख लेबर डिपार्टमेंट के अलावा प्रांतीय एक्साइज एवं पुलिस को भी रहे कि वे सब कानूनों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। जिले के उच्च अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) को यह अधिकार दिये जायें कि कानूनों के उल्लंघन पर परिस्थिति अनुसार वह कठिन से कठिन कदम उठा सके। जैसे अभी कुछ दिन हुए सागर में कुछ दुकानदारों ने मिलकर मजदूरों को कुचलना चाहा और दुकानदार ने खड़े-खड़े दोष देकर मजदूरों को निकाल दिया। सरकारी जांच से सिद्ध हुआ कि मजदूर निर्दोष हैं। इसके लिये स्वयं डिप्टी कलेक्टर, ए. डी. एस., सिटी कोतवाल, डी. एस. पी. सब उच्च अधिकारी मालिकों को समझाते रहे, सभ्रांत नागरिकों ने भी समझाया, लेबर डिपार्टमेंट से भी आदमी आये, पर मालिक लोग अपनी जिद पर ही अड़े रहे कि चाहे जो हो हम तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। जिसे जो करना हो करे। मैं किसी की नहीं मान सकता। आखिर मजदूर निर्दोष होते हुए भी लगातार भूखों मरते रहे। उसकी हिंसा होती रही। देखने से यह मालूम हुआ कि जिले के उच्च अधिकारी के पास कोई ऐसे कानूनी साधन नहीं कि वे इस बवन्डर को रोक सके जिसकी तात्कालिक आवश्यकता थी। ऐसी तात्कालिक परिस्थितियों के लिये उन्हें उचित अधिकार दिये जावें।

१५. लेबर कानून ऐसे असरदार हो कि इन्हें मानना अनिवार्य हो। यह नहीं कि ऑफिसर जो कि सरकार का प्रतिनिधि सरकार की ओर से किसी चीज को गलत समझता है और उसे रोक सकने में असमर्थ रहता है। इसलिये मजदूरों के न्याय को लेबर कानूनों में संशोधन होना चाहिये जिससे कि सरकारी आज्ञा के उल्लंघन का कोई साहस न कर सके। और उसके कानूनों की धन के मुकाबले अधिक प्रतिष्ठा हो।

१६. हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इन राजों के राज्य क्यों खत्म किये ? मालगुजारों की मालगुजारी खत्म की। इसका यही कारण है कि मनुष्य-मनुष्य में इतनी विषमता न रहे। पर मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। पर यह चीज खत्म कहां हो रही है। एक ओर लाखों मानव कीड़ा मकोड़ा हो रहा है दूसरी ओर अन्य राजाओं की ऐवज में हजारों महाराजा पैदा हो रहे हैं। हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित एवं मान्य व्यक्ति राष्ट्रपति को भी १०,००० रुपया प्रतिमाह से अधिक नहीं मिलता जो देश का सबसे बड़ा सेवक है, तो क्या वजह है कि हमारी सरकार तम्बाखू जैसे मादक पदार्थ पर इनको इतना अधिक मुनाफा दें। इन्हें मुनाफे का प्रतिशत दिया जावे। बाकी मुनाफा राष्ट्रहितैषी कार्यों में लगाया जा सके। क्या हमारे उद्योगपति बन्धु भी जबकि देश को एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। इस ओर राष्ट्रहितैषी होने के नाते मजदूर सहयोगियों में तथा खुद में इतना अन्तर रखेंगे कि हमारी समाजवादी समाज व्यवस्था एवं कल्याणकारी राज्य सहाय कर सके।

डॉ. कलावती दीक्षित
सदस्या,
बीड़ी उद्योग न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री
समिति, सागर (मध्यप्रदेश).

ता. १२-२-५८.

(२)

मौलाबक्ष रहीमबक्ष, सतना, जिला सतना, मध्यप्रदेश।

न्यूनतम वेतन परामर्शदात्री समिति ने जो सुझाव दिये हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं और मैं निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूं:—

(१) बीड़ी बनवाई का रेट:—मध्यप्रदेश का वह हिस्सा, जो पहले विन्ध्यप्रदेश कहलाता था, उसमें विन्ध्यप्रदेश सरकार ने अपने ऑर्डर नंबर १८-१० ता. २० दिसम्बर जो विन्ध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक २१ दिसम्बर, १९५४ में छापा है, बीड़ी की बनवाई का रेट १। रु. फी हजार जहां कि आबादी १०,००० या उससे ज्यादा है, निर्धारित किया है व १ रु. २ आने हजार जहां कि आबादी १०,००० से कम है, किया था, हम लोग कारखानेदार जो विन्ध्यप्रदेश के रहनेवाले हैं, इसी रेट से बीड़ी बनवाते आये हैं और चूंकि यहां ठेकेदारी की प्रथा है, इसलिये हम कारखानेदारों को २ आने व ३ आने फी हजार ठेकेदारी का कमिशन देते हैं। यह रेट विन्ध्यप्रदेश सरकार ने बीड़ी मजदूरों की सलाह व इस हिस्से की माली, आर्थिक व दीगर कामों की वेतनों को मद्देनजर रखते हुवे मुकर्रर किया था और यहां के मजदूरों को इस रेट के खिलाफ आजतक कोई ऐतराज नहीं हुआ है। इस रेट के अलावा सरकार ने पत्ती, व धागे का भी हिसाब तय कर दिया है जो मजदूरों को मंजूर है और उन्होंने आज तक कोई ऐतराज नहीं किया। मुकर्रर रेट के अलावा हम लोग बीड़ी मजदूरों को दो पैसा फी हजार धागे की कीमत देते हैं।

चूंकि मध्यप्रदेश का यह हिस्सा यू. पी. से लगा हुआ है और ज्यादातर माल हम लोगों का यू. पी. में ही बिकता है इसलिये अगर बीड़ी बनवाई का रेट बढ़ा दिया जायगा जैसाकि कमेटी ने सुझाव दिया है तो हम लोगों के माल बिकने में दिक्कत होगी। बीड़ी बनवाई का रेट उस वक्त तक न बढ़ाया जाय जब तक कि उत्तरप्रदेश की सरकार बीड़ी बनवाई का रेट उसी मुताबिक न बढ़ा दे, आजकल उत्तरप्रदेश में भी काफी बीड़ियां बनने लगी हैं ऐसी सूरत में जब तक कि मध्यप्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के दरम्यान बीड़ी बनवाई के रेट के बारे में कोई मोआयदा न हो जाय।

(२) कमेटी ने जो सुझाव १० मील का रखा है वह बजाय १० मील के ५ मील की एरिया का कर दिया जाय।

(३) कमेटी ने जो सुझाव चेकर की तनख्वाह व झिल्लीवाला, सिलाईवाला, रेलाईवाला, व पैकिंगवाला के बारे में दिया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरी राय में जो तनख्वाह व मजदूरी इन कामों के करनेवालों की विन्ध्यप्रदेश सरकार ने अपने आज्ञा नं. १७-१० ता. २०-१२-५४ में ३० रु. माहवार या १ रु. २ आने रोजाना रखा है उसीको मध्यप्रदेश के इस हिस्से में रखा जाय। मजदूरों के प्रतिनिधियों ने इस तनख्वाह व मजदूरी को स्वीकार कर लिया था और आज तक कोई ऐतराज नहीं हुआ। सन् १९५४ और आज के चीजों दरों में मध्यप्रदेश के इस हिस्से में कोई ज्यादा अन्तर नहीं हुआ है, इसके अलावा इस हिस्से में जो तनख्वाह या मजदूरी और दीगर कामों में दी जाती है वह करीब-करीब एक ही सी है ऐसी सूरत में जब तक कि दूसरे काम करनेवालों की मजदूरी व तनख्वाह के रेट में तब्दीली न हो बीड़ी नियोजन में तनख्वाह या मजदूरी का रेट बढ़ाना मुनासिब न होगा।

(४) यह कि मेरी राय में बीड़ी उद्योग की भलाई के लिये यह जरूरी है कि जो बीड़ी कारीगर बनाकर लाये उसकी जांच दुकानदार करें वर्ना माल खराब बन कर आने लगेगा। छांट की बीड़ी जो बाजार में बिकती है, वह मजदूरी काटकर और भी कम रेट में बेची जाती है।

(५) यह कि कमेटी ने जो कीमत पत्तो या तम्बाखू की मानी है वह बहुत ही कम मानी है, इसके अलावा कमेटी ने और भी खर्चा माने है वह भी बहुत कम है, तम्बाखू की कीमत औसतन १,००० बीड़ी ५ छटाकवाली में १।। रु. से कम किसी सूरत से नहीं हो सकता है और पत्तो का खर्च ८ आने से १२ आने तक आता है। इसलिये गवर्नमेन्ट इस पर विचार करे और फिर से बीड़ी का रेट मुकर्रर करे।

(ह.) मौलाबक्ष रहीमबक्ष

---

(३)

समिति ने जो तीन क्षेत्र बनाये हैं, उनमें से "अ" व "ब" क्षेत्र के १० मील की परिधि जो रखी गयी है, उसे १० मील नहीं रखकर ५ मील रखा जाये, ऐसा मेरा सुझाव है ताकि उन्हें वह सहुलियतें मिल सकें जो समिति ने कम आबादी वाले क्षेत्रों में दी हैं।

(ह.) के. अमीनुद्दीन

परिशिष्ट

वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य में विलीन हुए क्षेत्रों में तम्बाखू (बीड़ी बनाना सहित)

महाकौशल			मध्यभारत		
क्षेत्र	वर्गीकरण	दर	क्षेत्र	वर्गीकरण	दर
१	२	३	४	५	६
बुरहानपुर	बीड़ी बनाने वाले	(प्रति हजार बीड़ी) १-७-०	इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, निमाड़ (पश्चिम)	बीड़ी बनाने-वाला फित्सीवाला	रु. १-८-० प्रति हजार बीड़ी रु. ६५-०-० माहावार या रु. ४-४-० प्रति लाख बीड़ी
खण्डवा, इयां, होशंगा-बाद, गादरवाड़ा व नरसिंहपुर शहर	,,	१-६-०	देवास, शाजापुर व मंदसौर के जिले	भट्टीवाला	रु. ४५-०-० प्रतिमाह
उपरोक्त नगरपालिक नगरों के आसपास १० मील की परिधि में स्थित निमाड़ व होशंगाबाद जिले के स्थान	,,	१-४-०	गुना तथा राजगढ़ जिले	बीड़ी बनाने-वाले झित्सीवाले	रु. १-४-० प्रति हजार रु. ४५-०-० प्रतिमास या रु. ३-४-० प्रति लाख बीड़ी
				भट्टीवाले	रु. ३५-०-० प्रतिमास
उपरोक्त स्थानों की १० मील की परिधि में स्थित स्थान	,,	१-२-०	गिर्द (ग्वालियर), भिन्ड, मुरैना, शिवपुरी भेलसा तथा झाबुआ जिले	बीड़ी बनाने वाले	रु. १-२-० प्रति हजार बीड़ी
(२) सीहोर और भोरगढ़	,,	१-२-०		झित्सीवाला	रु. ४५-०-० प्रतिमास या रु. ३-४-० प्रति लाख बीड़ी
(३) बालाघाट जिले में स्थित बालाघाट, वारासिवनी, व खटेगी तथा अन्य नगरपालिक नगर	,,	१-४-०		भट्टीवाला	रु. ३५-०-० प्रतिमास
उपरोक्त नगरों की १० मील की परिधि में स्थित अन्य स्थान	,,	१-२-०			

अ

नियोजन के निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का तुलनात्मक पत्रक

विन्ध्यप्रदेश					
क्षेत्र	वर्गीकरण	दर	क्षेत्र	वर्गीकरण	दर
७	८	९	१०	११	१२
१०,००० से अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्र अन्य पेशों में	बीड़ी बनाने-वाले	रु. १-४-० प्रति-हजार बीड़ी	भोपाल, सीहोर तथा बैरागढ़	बीड़ी बनाने-वाला कारखानेदार	रु. १-६-० प्रति हजार बीड़ी
				घर खाता	रु. १-४-० प्रति हजार बीड़ी
	या	रु. ३०-०-० प्रति २६ कार्य दिवस के माह का या रु. १-२-० प्रति आठ घन्टे के कार्य का दिवस	अन्य स्थानों पर	बीड़ी बनाने-वाला-कारखानेदार	रु. १-२-० प्रति हजार बीड़ी
				घर खाता	रु. १-०-० प्रति हजार बीड़ी

वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य में विलीन हुए क्षेत्रों में तम्बाखू (बीड़ी बनाना सहित)

महाकोशल			मध्यभारत		
क्षेत्र	वर्गीकरण	दर	क्षेत्र	वर्गीकरण	दर
१	२	३	४	५	६
	बीड़ी बनानेवाले	प्रति हजार बीड़ी			
(४) जबलपुर नगरपालिक निगम क्षेत्र	,,	१-७-०			
जबलपुर जिले में स्थित अन्य नगरपालिक नगर	,,	१-४-०			
तथा जबलपुर नगरपालिक निगम की १० मील की परिधि के स्थान कटंगी, भड़ोली, पानागढ़, सिहोरा, कटनी, पाटन, धोसलपुर, तथा महगांव	,,	१-४-०			
जबलपुर जिले में स्थित अन्य नगर पालिक नगर तथा जबलपुर नगरपालिक निगम की १० मील की परिधि में स्थित स्थानों की १० मील की परिधि में स्थित अन्य स्थान	,,	१-२-०			
(५) सागर तथा दमोह शहर	,,	१-५-०			
सागर जिले में स्थित अन्य नगरपालिक नगर तथा सागर, दमोह नगर की १० मील की परिधि में स्थित स्थान	,,	१-४-०			
सागर जिले के अन्य पैकिंग स्थान (स्टॉक फॅक्ट्री)	,,	१-३-०			
(६) दुर्ग जिले के समस्त नगर-पालिक नगर	,,	१-४-०			
दुर्ग जिले के अन्य पैकिंग स्थान (स्टॉक फॅक्ट्री)	,,	१-२-०			
(७) बिलासपुर जिले के समस्त नगरपालिक नगर	,,	१-५-०			

नियोजन के निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का तुलनात्मक पत्रक

विन्ध्यप्रदेश					
क्षेत्र	वर्गीकरण	दर	क्षेत्र	वर्गीकरण	दर
७	८	९	१०	११	१२

वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य में विलीन हुए क्षेत्रों में तम्बाखू (बीड़ी बनाना सहित)

महाकौशल			मध्यभारत		
क्षेत्र	वर्गीकरण	दर	क्षेत्र	वर्गीकरण	दर
१	२	३	४	५	६
	बीड़ी बनानेवाले	प्रति हजार बीड़ी			
नगरपालिक नगरों की १० मील की परिधि में स्थित अन्य स्थान	,,	१-३-०			
(८) रायपुर नगरपालिक क्षेत्र	,,	१-६-०			
रायपुर जिले के समस्त नगरपालिक नगर	,,	१-४-०			
नगरपालिक नगरों की १० मील की परिधि के अन्य स्थान	,,	१-४-०			
(९) जगदलपुर तथा जबलपुर जिले के समस्त नगरपालिक नगर	,,	१-४-०			
उपरोक्त नगरों की १० मील की परिधि के स्थान	,,	१-२-०			
(१०) रायगढ़ तथा रायगढ़ जिले के समस्त नगरपालिक नगर	,,	१-४-०			
उपरोक्त नगरों की १० मील की परिधि के स्थान	,,	१-२-०			
उपरोक्त पैकिंग स्थान के अतिरिक्त अन्य समस्त पैकिंग स्थान (स्टॉक फॅक्ट्री)	,,	१-२-०			
समस्त अन्य स्थान	,,	१-०-०			

नियोजन के निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का तुलनात्मक पत्रक

	विन्ध्यप्रदेश				
क्षेत्र	वर्गीकरण	दर	क्षेत्र	वर्गीकरण	दर
७	८	९	१०	११	१२

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश राज्य के समीपवर्ती राज्यों में तम्बाखू (बीड़ी बनाना सहित)

अनुक्रमांक	श्रमिकों का वर्गीकरण	राजस्थान*	बिहार
(१)	वयस्क पुरुष श्रमिक	रुपये ३० माहवार अथवा १ रु. २ आने प्रतिदिन (२६ दिन का एक माह) इसमें महंगाई व अन्य भत्ते सम्मिलित हैं	१० आने से २ रु. ४ आने प्रति हजार बीड़ी बनाने के
(२)	वयस्क महिला श्रमिक		
(३)	सिकाई करनेवाला। सन्तूर व सूर्य किरण की सिकाई के अतिरिक्त		१ रु. ८ आने प्रति एक लाख बीड़ी के लिए
(४)	पैकिंग (वास्केट पैकिंग)		१ रु. ४ आने प्रति एक लाख बीड़ी के लिए
(५)	मुन्शी		रु. ६० प्रतिमाह म्युनिसिपल व नोटीफाइड एरिया में रु. ५२ प्रतिमाह गांव में
(६)	तम्बाकू छांट करनेवालों को		रु. १-८-० नगरपालिका सीमा में व . १-४-० देहातों क्षेत्र में
(७)	सेवसिंग (सिंगल)		रु. २-१३-० प्रति एक लाख बीड़ी
(८)	सेवसिंग (डबल)		रु. ३-८-० प्रति एक लाख बीड़ी

*नोट:—ये दरें राजस्थान हायकोर्ट द्वारा दिए निर्णय में अवैधानिक घोषित की जा चुकी हैं।

(ब)

नियोजन में न्यूनतम वेतन विधान के अन्तर्गत निर्धारित दरों का तुलनात्मक पत्रक

आन्ध्र	उड़ीसा	बम्बई	उत्तर प्रदेश
१४ आने से १ रु. ८ आने प्रति हजार बीड़ी तक व रुपये २ प्रति हजार शिगार बनाने पर	१ रु. ६ आने प्रति हजार बीड़ी या रु. १ प्रतिदिन	१ रु. २ आने से १ रु. १० आने प्रति हजार बीड़ी बनाने का	१ रु. २ आने से १ रु. ६ आने प्रति हजार बीड़ी बनाने का
रु. ४० प्रति माह			
....			
रु. २० और रु. ४० प्रतिमाह			
रु. ५० प्रतिमाह			
....			
....			
रु. ४५ प्रतिमास			
....			
रु. २५ प्रतिमाह			

परिशिष्ट 'स'

मध्यप्रदेश बीड़ी नियोजन न्यूनतम वेतन पुनर्निर्धारण परामर्शदात्री समिति

प्रश्नावली

नोट :—इस प्रश्नावली का उत्तर नीचे दिये गये पते पर भेजा जावें। उत्तर एक सप्ताह की अवधि में भेज देना चाहिए।

(१) कारखाने का काम ....

(२) मोहल्ला व मकान नं. ....

(३) शहर .... जिला ....

(४) रेलवे स्टेशन ....

(५) कारखाने के मालिक/ठेकेदार का नाम व पता ....

(६) श्रमिकों की संख्या—

कारखाने में कितने श्रमिक काम करते हैं, उनकी संख्या नीचे बताई जावे:—

(अ) जो कारखाने में काम करते हैं—

	पुरुष	....
	स्त्री	....
	बालक	....
	योग	....

(ब) जो कारखाने के अतिरिक्त (घरों में) काम करते हैं—

	पुरुष	....
	स्त्री	....
	बालक	....
	योग	....

(स) कारखाने से सम्बन्धित ठेकेदारों की संख्या— ....

(द) ठेकेदारों के द्वारा काम पर लगाए श्रमिकों की संख्या—

	पुरुष	....
	स्त्री	....
	बालक	....
	योग	....

(७) एक महीने में औसतन कितनी बीड़ी बनाई जाती हैं:—

कारखाने में	घर पर काम करनेवाले श्रमिकों द्वारा	ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए श्रमिकों द्वारा

(८) एक हजार बीड़ी बनाने में कितनी लागत आती है, उसका विवरण नीचे दिया जावे:—

लागत का विवरण	सन् १९५५ में			सन् १९५६ में			सन् १९५७ में	
	रु.	आ.	पा.	रु.	आ.	पा.	रु.	न. पैसे
तम्बाखू								
पत्ते								
डोरा (धागा)								
कोयले का व्यय (पकानें का व्यय)								
लेबलिंग व्यय								
पैकिंग व्यय								
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय								
एजेन्ट कमीशन								
व्यवस्थापन व्यय								
ब्याज								
मजदूरी								
रेल भाड़ा व्यय								
अन्य कोई व्यय (यदि हो तो)								
योग ...								

(९) एक हजार बीड़ी के विक्रय का विवरण:—

	सन् १९५५	सन् १९५६	सन् १९५७
थोक भाव			
खेरची भाव			

(१०) आपके कारखाने का माल मुख्यतः कहां विकता है ? (मध्यप्रदेश में ही वेचा जाता है अथवा अन्य राज्यों को भी भेजा जाता है)—

....

....

....

(११) मध्यप्रदेश के बाहर से आनेवाली बीड़ियों से क्या आपके कारखाने में बनी बीड़ियों का कोई कॉम्पीटीशन होता है ? यदि हां, तो उसका विवरण नीचे दीजिये:—

....

....

(अ) बाहर से आनेवाली बीड़ी निर्माता का नाम व पता—

....

....

(ब) बाहर से आनेवाली बीड़ियों का मध्यप्रदेश में विक्रय का विवरण निम्न अनुसार दीजिये:—

(१) थोक भाव
(२) खेरची भाव } प्रति एक हजार बीड़ी

(१२) अगर आपके कारखाने का माल बाहर दूसरे राज्यों में जाता है तो उसका विवरण नीचे दीजिये :—

(१) थोक भाव
(२) खेरची भाव } प्रति एक हजार बीड़ी

(१३) मध्यप्रदेश के बाहर के राज्यों में स्थित बीड़ी कारखानों से कॉम्पीटीशन करने में आपको क्या कठिनाइयां हैं, वे बतावें—

....

....

....

(१४) बाहर के राज्यों से आनेवाली बीड़ियों से मुकाबला करने के लिए आपके कारखाने को क्या सुविधायें चाहिए—

....

....

(१५) माह व सप्ताह में औसतन कार्य के घन्टे—

माह	सप्ताह

(१६) साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है क्या? ....
यदि हां, तो क्या वह सवैतनिक है? ....

(१७) ओवरटाईम कार्य लिया जाता है क्या? यदि ....
हां, तो उसका भुगतान किस दर से होता है? ....

(१८) मजदूरी नकदी दी जाती है या अन्य प्रकार से दी जाती है ? ....

(१९) अन्य जानकारी जो आप देना चाहें—

....

....

दिनांक.................... हस्ताक्षर....................

प्रश्नावली भरकर निम्न पते पर भेजी जावे—

श्री ल. र. जोशी,
अध्यक्ष, न्यूनतम वेतन (बीड़ी उद्योग) पुनर्निर्धारण
परामर्शदात्री समिति,
श्रम आयुक्त का कार्यालय, सफेद कोठी, इंदौर.

शाप्रमुइं-४४८-५००-५-५९.